

STATE ANNUAL ACTION PLAN (SAAP)  
(FY2016-17)

State- Chhattisgarh



**Dr. Rohit Yadav, (I.A.S.)**  
Chief Executive Officer &  
Mission Director (NULM)



D.O.No. : ..... 39 .....

**State Urban Development Agency**  
Indravati Bhavan (HOD Bldg), 4th Floor,  
D-Block, Naya Raipur, Chhattisgarh

Ph. : 0771-2510090, 0771-2533054 (F)

E-mail : suda\_rda@yahoo.co.in/ued.og@nic.in

Date : 28.05.2016

---

**Sub :** Chhattisgarh - AMRUT - State Annual Action Plan  
(SAAP) for the FY 2016-17

Respected Sir,

I would like to inform that State Level High Power Steering Committee (SHPSC) has approved and recommended the SAAP (FY 2016-17) to MoUD, GoI for consideration and approval. The SAAP along with checklist and copy of minutes of SHPSC meeting is enclosed.

I therefore request you to consider approval of SAAP for the FY 2016-17 and early release of first installment of Central Assistance.

Encl: 1. SAAP booklet.

2. Copy of minutes of SHPSC

(Dr. Rohit Yadav)

To,

**Shri Neeraj Mandloi (IAS)**  
Additional Secretary,  
Ministry of Urban Development,  
Government of India,  
Nirman Bhawan, New Delhi

## Table of Contents

Checklist – Consolidated State Annual Action Plan of all ULBs to be sent for Assessment by MoUD (as per table 6.2)	1
Minutes of State High Powered Steering Committee (SHPS) Meeting	3
Chapter 1: Project Background and Summary	7
Chapter 2: Review of SAAP (FY 2015-16)	19
Chapter 3: STATE ANNUAL ACTION PLAN (SAAP)	33
1. Principles of Prioritization	38
2. Importance of O&M	39
3. Reform Implementation	40
4. Annual Capacity Building Plan	44
5. A&OE	48
6. Financing of Projects	49
Chapter 4: Tables	52

**Checklist – Consolidated State Annual Action Plan of all ULBs to be sent for Assessment by MoUD (as per table 6.2)**

S. No.	Points of Consideration	Yes/No	Details
1.	Have all the Cities prepared SLIP as per the suggested approach?	YES	SLIPs prepared and submitted by the cities as per the AMRUT guidelines and is in conformity with the National and State Priority i.e. providing universal coverage of water and sewerage/ septage in AMRUT cities.
2.	Has the SAAP prioritized cities for investment as per priority sector and gap assessment?	YES	SAAP has prioritized proposed investment across cities as per the principle of prioritization (para 7.2) of AMRUT. Investment has been broadly distributed across all 9 cities. Distribution of investment is based on priority for providing 100% universal coverage in primary thrust sectors.
3.	Is the indicator wise summary of improvements proposed (both investments and management improvements) by State in place?	YES	Indicator wise summary of improvements proposed by the State is enclosed at Table 1.4 of SAAP. Service level indicator of NMT, parks and green spaces will be assessed in the current Financial Year and will be included in the SLIP and SAAP of the next Financial Year.
4.	Have all the cities under Mission identified/done baseline assessments of service coverage indicators?	YES	SLB notification of all 9 cities has been carried out from FY 2011-12 to 2015 – 16.
5.	Is the SAAP derived from an approach towards meeting Service Level Benchmarks agreed by Ministry for each Sector?	YES	SAAP has been prepared to meet Service Level Benchmarks as agreed by the MoUD.
6.	Is the investment proposed commensurate to the level of improvement envisaged in the indicator?	YES	The proposed investments commensurate to the Service Level improvement envisaged in the indicator.
7.	Are State Share and ULB share in line with proposed Mission approach?	YES	The share of the state government will be 40% in case of cities with population above 10 lakhs and 30% in case of cities with population upto 10 lakhs. ULB share will be 26.67% in case of cities with population more than 10 lakhs and 20% in case of

S. No.	Points of Consideration	Yes/No	Details
			cities with population up to 10 lakhs.
8.	Is there a need for additional resources and have state considered raising additional resources (State programs, aided projects, additional devolution to cities, 14th Finance Commission, external sources)?	Yes	Efforts are being made to mobilize additional resources through 14 <sup>th</sup> Finance Commission, External Sources and from reform incentive fund of AMRUT.
9.	Does State Annual Action Plan verify that the cities have undertaken financial projections to identify revenue requirements for O&M and repayments?	YES	The O&M of the projects proposed under the mission shall be reimbursed by the user-charges collected by the ULBs. The additional fund required for O&M and repayment shall be worked out in detail at the time of preparation of DPR.
10.	Has the State Annual Action Plan considered the resource mobilization capacity of each ULB to ensure that ULB share can be mobilized?	YES	Maximum portion of ULB share will be mobilised through 14 <sup>th</sup> Finance Commission and reform incentives.
11.	Has the process of establishment of PDMC been initiated and completed?	YES	Already established. IPE Global Ltd. Selected as PDMC Chhattisgarh.
12.	Has a roadmap been prepared to realize the resource potential of the ULB?	YES	The resource potential of each city has been considered while preparing SAAP.
13.	Is the implementation plan for projects and reforms in place (Timelines and yearly milestones)?	YES	Implementation of reforms shall be as per timeline set in the mission guidelines. At the same time detailed implementation plan for projects shall be prepared while preparing DPR
14.	Has the prioritization of projects in ULBs been done in accordance with para 7.2 of the guidelines?	YES	Projects have been prioritized in accordance with Para 7.2 of the guidelines with main consideration of potential smart city, universal coverage principle, resource capability of respective ULB etc.

## Minutes of State High Powered Steering Committee (SHPSC) Meeting

### राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़

#### --: कार्यवाही विवरण :-

मुख्य सचिव महो. की अध्यक्षता में आहूत अमृत मिशन अंतर्गत राज्य स्तरीय हाईपावर स्टेयरिंग कमेटी (SHPSC) की द्वितीय बैठक दिनांक 27.05.2016 को प्रातः 11:00 बजे

भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित अमृत मिशन अंतर्गत राज्य स्तरीय हाईपावर स्टेयरिंग कमेटी (SHPSC) की द्वितीय बैठक दिनांक 27.05.2016 को प्रातः 11:00 बजे मंत्रालय महानदी भवन स्थित मुख्य सचिव के कार्यालयीन प्रतिकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण सम्मिलित हुए :-

1. श्री विवेक ढांड, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन – अध्यक्ष
2. श्री आर.पी. मण्डल, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, न.प्र.वि. तथा वन विभाग – सदस्य
3. श्री अमित अग्रवाल, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग – सदस्य
4. श्री संजय शुक्ला, सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण – सदस्य
5. श्री बी.एल. तिवारी, सचिव, छ.ग. शासन, लो.स्वा.यां. विभाग – सदस्य
6. डॉ. रोहित यादव, संचालक न.प्र.वि., मु.का.अधि, सूडा, मिशन निदेशक – सदस्य सचिव
7. डॉ. रमा कांत, सलाहकार, सीपीएचईईओ, भारत सरकार के प्रतिनिधि – सदस्य
8. श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, आयुक्त नगर पालिक निगम मिलाई – विशेष आमंत्रित
9. श्री अजय अग्रवाल, आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा – विशेष आमंत्रित

निर्णय क्र. 01 :- राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी (SHPSC) की प्रथम बैठक दिनांक 2010.2015 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में – समिति द्वारा SHPSC की प्रथम बैठक दिनांक 20.10.2015 के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

निर्णय क्र. 02 :- मिशन अंतर्गत, स्टेट एनुअल एक्शन प्लान (SAAP) वर्ष 2015-16 की अद्यतन प्रगति की समीक्षा के संबंध में – मिशन अंतर्गत, स्टेट एनुअल एक्शन प्लान (SAAP) वर्ष 2015-16 की अद्यतन प्रगति से पावरपॉइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया।

निर्णय क्र. 03 :- मिशन अंतर्गत, वर्ष 2016-17 के सर्विस लेवल इम्पुवमेंट प्लान (SLIP) एवं स्टेट एनुअल एक्शन प्लान (SAAP) के अनुमोदन के संबंध में – मिशन अवधि 2015-16 से

2019-20 के पुनरीक्षित SAAP राशि रु. 2138.77 करोड़ तथा वर्ष 2016-17 के SAAP राशि रु. 801.40 करोड़, समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए, भारत सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया एवं समिति द्वारा रायपुर शहर में प्रदूषण की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए, मिशन अमृत अंतर्गत रायपुर शहर की सीवरेज परियोजना को ट्रेंचलैस तकनीक से तैयार कराने निर्देशित किया गया।

**निर्णय क्र. 04 :-** मिशन अंतर्गत जलप्रदाय योजना कोरबा फेस-11 की डीपीआर कुल लागत राशि रु. 20702.61 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में - राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (मिशन अमृत) की अनुशंसा अनुसार जल प्रदाय योजना कोरबा फेस-11 लागत राशि रु. 20702.61 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का विस्तृत चर्चा उपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

**निर्णय क्र. 05 :-** मिशन अंतर्गत जलप्रदाय योजना भिलाई फेस-11 की डीपीआर कुल लागत राशि रु. 24273.49 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में - राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (मिशन अमृत) की अनुशंसा अनुसार जल प्रदाय योजना भिलाई फेस-11 लागत राशि रु. 24273.49 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का विस्तृत चर्चा उपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

**निर्णय क्र. 06 :-** मिशन अंतर्गत, सुधार कार्य क्रियान्वयन (रिफार्म) की प्रगति रिपोर्ट, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय को प्रेषित किये जाने की अनुशंसा के संबंध में - मिशन अंतर्गत, सुधार कार्य क्रियान्वयन (रिफार्म) की प्रगति रिपोर्ट चर्चा उपरान्त, समिति की अनुशंसा सहित भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय को प्रेषित किये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

**निर्णय क्र. 07 :-** अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय :-

7.1 मिशन अमृत अंतर्गत **Independent Review and Monitoring Agency (IRMA)** के गठन हेतु मिशन डायरेक्टर (अमृत) को प्राधिकृत करने के संबंध में - प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त आरएफपी आमंत्रित कर, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया से एजेंसी के चयन हेतु मिशन डायरेक्टर (अमृत) को अधिकृत किये जाने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।



7.2 मिशन अमृत अंतर्गत लघु निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के अधिकार मिशन डायरेक्टर को प्रत्यायोजित किये जाने के संबंध में – प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त कार्यों का त्वरित संपादन सुनिश्चित करने हेतु राशि ₹. 10.00 करोड़ की लागत के समस्त कार्यों की तकनीकी, प्रशासकीय, आहूत निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरों के अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृति के समस्त अधिकार मिशन डायरेक्टर (अमृत) को प्रत्यायोजित करने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। मिशन डायरेक्टर द्वारा जारी स्वीकृति की सूचना एसएलटीसी की आगामी बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत की जावेगी।

7.3 मिशन अमृत अंतर्गत निकार्यों को रिफार्म इन्सेटिव की राशि के वितरण के संबंध में नीति निर्धारण – प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त मिशन में निर्देशित रिफार्म का निर्धारित लक्ष्य समय-सीमा में पूर्ण होने पर मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार की वित्तीय सहायता पर प्राप्त होने वाली 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि संबंधित वर्ष के स्वीकृत SAAP में परियोजना लागत के समानुपातिक, संबंधित मिशन शहरों (मिशन सिटीज) को वितरण करने की नीति निर्धारण का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

7.4 मिशन अमृत के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण – मिशन में सम्मिलित निर्माण कार्यों तथा सुधार कार्यों (रिफार्म) का लक्ष्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के उद्देश्य से विभागीय प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त निर्देशानुसार बैठक समाप्त घोषित की गई।

  
(डॉ. रोहित यादव)  
मिशन निदेशक (अमृत मिशन)  
राज्य शहरी विकास अभिकरण  
छत्तीसगढ़



पृ.क्रमांक/09/सूडा/2016/997

नया रायपुर, दिनांक : २७/०५/२०१६

**प्रतिलिपि :-**

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छ.ग.।
2. निज सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग।
4. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग।
5. सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
6. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग।
7. संयुक्त सचिव (अमृत सिटी) भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. संयुक्त सचिव (यूडी) भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग.।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ.ग.।
11. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़।
12. आयुक्त नगर पालिक निगम ..... छत्तीसगढ़।
13. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय नया रायपुर को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
14. रिकार्ड फाईल।

  
मिशन निदेशक (अमृत मिशन)  
राज्य शहरी विकास अभिकरण  
छत्तीसगढ़

## Chapter 1: Project Background and Summary

The Ministry of Urban Development (MoUD), Government of India launched the programme Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) on 25<sup>th</sup> June, 2015 to augment infrastructure in urban areas in order to improve quality of life, especially the poor and disadvantaged. The programme is multi-sectoral in its focus and aims to cover basic municipal services such as water supply, sewerage, septage management, urban transport, etc. The Mission intends to adopt a multipronged cross sectoral strategy of Non-Motorized Transport (NMT), developing green breathing spaces for the urban areas and adoption of innovative governance practices and technologies.

The focus of the programme has been very clearly enumerated as an inclusive programme wherein access to potable drinking water and management of waste water is defined as principle importance and takes precedence in the implementation strategy.

The AMRUT focuses on achieving universal coverage of all basic essential municipal services within the Mission timeline.

### Thrust Areas

The purpose of AMRUT Mission is to:

- a. Ensure that every household has access to a tap with assured supply of water and a sewerage connection;
- b. Increase the amenity value of cities by developing greenery and well maintained open spaces (e.g. parks); and (
- c. Reduce pollution by switching to public transport or constructing facilities for non-motorized transport (e.g. walking and cycling). Therefore, the Mission will focus on the following Thrust Areas:
- d. Water supply,**
  - Water supply systems including augmentation of existing water supply, water treatment plants and universal metering.
  - Rehabilitation of old water supply systems, including treatment plants.
  - Rejuvenation of water bodies specifically for drinking water supply and recharging of ground water.
  - Special water supply arrangement for difficult areas, hill and coastal cities, including those having water quality problems (e.g. arsenic, fluoride)
- e. Sewerage facilities and septage management,**
  - Decentralized, networked underground sewerage systems, including augmentation of existing sewerage systems and sewage treatment plants.
  - Rehabilitation of old sewerage system and treatment plants.
  - Recycling of water for beneficial purposes and reuse of wastewater.
- f. Storm water drains to reduce flooding,**
  - Construction and improvement of drains and storm water drains in order to reduce and eliminate flooding.

**g. Pedestrian, non-motorized and public transport facilities, parking spaces, and**

- Ferry vessels for inland waterways (excluding port/bay infrastructure) and buses.
- Footpaths/walkways, sidewalks, foot over-bridges and facilities for non-motorized transport (e.g. bicycles).
- Multi-level parking.
- Bus Rapid Transit System (BRTS).

**h. Enhancing amenity value of cities by creating and upgrading green spaces, parks and recreation centers, especially for children.**

- Development of green space and parks with special provision for child-friendly components.

**i. Reforms management & support**

- Support structures, activities and funding support for reform implementation.  
Independent Reform monitoring agencies.

**j. Capacity Building**

- This has two components- individual and institutional capacity building.

Besides the above sector focused projects, the State Governments and cities will also have to implement 11 reforms including e-Governance, constitution of municipal cadre, augmentation double entry accrual-based accounting system, appropriate city development plan, devolution of finances and functions, review of building bye laws, improvement in revenues, set up state-level financial intermediary, energy and water audits and Swachch Bharat Mission.

**Mission Cities**


Based on Census 2011, following 9 Mission cities are selected under AMRUT Mission:

S. No	City	Population (in lakhs)
1	Raipur Municipal Corporation	10.48
2	Bilai Municipal Corporation	6.25
3	Korba Municipal Corporation	3.63
4	Bilaspur Municipal Corporation	3.49
5	Durg Municipal Corporation	2.67
6	Raigarh Municipal Corporation	1.66
7	Rajnandgaon Municipal Corporation	1.63
8	Ambikapur Municipal Corporation	1.25
9	Jagdalpur Municipal Corporation	1.25

	<b>Total population</b>	<b>32.31</b>
	<b>Total Urban population of Chhattisgarh</b>	<b>59.37</b>
	<b>Percentage urban population in State covered under AMRUT Mission</b>	<b>54%</b>

**Institutional Arrangement**

At the Government of Chhattisgarh level, the Mission management scheme is presented as follows:



The table below indicates the population of respective Mission Cities and their comparative investments envisaged under the Mission. As can be observed, investments are mostly in line with the population levels and variations are accounted for by the difference in service levels among different ULBs.

**Population and Investment of Mission Cities**

S. No.	Name of ULB	Urban Population in lakhs (Census 2011)	Percentage of Investment under Mission
1	Ambikapur	1.25	2.96%
2	Bhilai	6.25	13.27%
3	Bilaspur	3.49	13.79%
4	Durg	2.67	3.46%
5	Jagdalpur	1.25	4.52%
6	Korba	3.63	11.42%
7	Raigarh	1.66	5.62%
8	Raipur	10.48	40.00%
9	Rajnandgaon	1.63	4.95%

One of the most important components of the AMRUT schemes, as highlighted in the MoUD guidelines is technological innovations through minimum financial implications, which are replicable as well as scalable. The PDMC team will strive to explore, incorporate, and encourage these smart and innovative solutions in the design development of utility services.

**Investment under the Mission**

Financing is an important aspect of SAAP, since a minimum of 20% of the total project cost has to borne by the State Government. Considering the huge gap between available resources and requirement for achieving universal coverage, multi-pronged revenue enhancement options must be explored prior to which all municipal revenue sources must be inventoried and required regulatory framework instituted. The PDMC team will help identify appropriate PPP options and other sources of funding for the State share and also assist in formulating the state as well the ULB share in the funding.

Breakup of Total MoUD Allocation in AMRUT: 2015-2020 (Amount in Cr.)

S. No.	Name of ULB	Water Supply	Sewerage and Septage Management	Others (GreenSpaces & Parks)	Reforms	Total
1	2	3	4	7	8	9
1	Ambikapur	46.16	6.00	4.30	4.00	60.46
2	Bhilai	242.73	20.00	4.30	4.00	271.03
3	Bilaspur	245.53	21.79	8.00	6.39	281.71
4	Durg	47.43	15.00	4.30	4.00	70.73
5	Jagdalpur	74.00	10.00	4.30	4.00	92.3
6	Korba	207.03	18.00	4.30	4.00	233.3
7	Raigarh	96.44	10.00	4.30	4.00	114.74
8	Raipur	147.00	651.29	12.00	6.82	817.11
9	Rajnandgaon	80.83	12.00	4.30	4.00	101.13
	<b>TOTAL</b>	<b>1185.17</b>	<b>764.08</b>	<b>50.10</b>	<b>41.21</b>	
<b>Total Project Investments</b>						<b>2042.54</b>
<b>A&amp;OE</b>						<b>96.23</b>
<b>Grand Total</b>						<b>2138.77</b>

Table 1.1: Breakup of Total MoUD Allocation in AMRUT FY: 2016-17 (Amount in Cr.)

Total Central funds allocated to State	Allocation of Central funds for A&OE	Allocation of funds for AMRUT (Central share)	Central Allocation	State/ULB Share	Total AMRUT annual size (cols.4+5)
1	2	3	4	5	6
120.96	8.96	112.00	336.00	431.79	767.8

Table 1.2.1: Abstract-Sector Wise Proposed Total Project Fund and Sharing Pattern (Amount in cr.) FY: 2015-2020

S. No.	Sector	No. of Projects	Centre	State	ULB	Convergence	Others	Total
1	Water Supply	27	568.91	370.85	247.00	0.00	0.00	<b>1187.15</b>
2	Sewerage and Septage Management	11	272.42	294.35	197.31	0.00	0.00	<b>764.08</b>
3	Others (Green Spaces & Parks)	28	24.65	15.44	10.01	0.00	0.00	<b>50.10</b>
	<b>Sub-Total</b>		<b>865.98</b>	<b>680.05</b>	<b>454.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2001.33</b>
4	Reforms		41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>41.21</b>
	<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>907.19</b>	<b>680.64</b>	<b>454.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2042.54</b>

Table 1.2.2: Abstract Break –up of Total Fund Sharing Pattern (Amount in Cr.) FY: 2015-2020

S. No.	Sector	Centre	State			ULB			Convergence	Others	Total
		Mission	14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total			
1	Water Supply	568.91	0.00	370.85	370.85	247.40	0.00	247.40	0.00	0.00	<b>1187.15</b>
2	Sewerage and Septage Management	272.42	0.00	294.35	294.35	197.31	0.00	197.31	0.00	0.00	<b>764.08</b>
3	Others (Green Spaces & Parks)	24.65	0.00	15.44	15.44	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	<b>50.10</b>
	<b>Sub-Total</b>	<b>865.98</b>	0.00	680.05	680.64	454.71	0.00	454.71	0.00	0.00	<b>2001.33</b>
4	Reforms	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>41.21</b>
	<b>Grand Total</b>	<b>907.19</b>	<b>0.00</b>	<b>680.64</b>	<b>680.64</b>	<b>454.71</b>	<b>0.00</b>	<b>454.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2042.54</b>



Table 1.3: Abstract-Use of Funds on Projects: On Going and New (Amount in Cr.) FY: 2016-2017

S. No	Sector	Total Project Investment	Committed Expenditure (if any) from Previous year (2015-16)						Proposed Spending during Current Financial year						Balance Carry Forward for Next Financial Years								
			Centre	State			ULB			Centre	State			ULB			Centre	State			ULB		
				14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total		14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total		14th FC	Others	Total			
1	Water Supply	841.12	212.13	-	137.08	137.08	91.39	-	91.39	192.10	-	125.06	125.06	83.37	-	83.37	-	-	-	-	-	-	-
2	Sewerage and Septage Management	443.44	59.73	-	37.84	37.84	25.23	-	25.23	106.88	-	128.26	128.26	85.51	-	85.51	-	-	-	-	-	-	-
3	Others (Green Spaces & Parks)	29.21	4.61	-	3.42	3.42	1.99	-	1.99	9.60	-	5.76	5.76	3.84	-	3.84	-	-	-	-	-	-	-
4	Reforms	41.21	13.78	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	27.43	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Grand Total</b>	<b>1354.98</b>	<b>290.25</b>	<b>-</b>	<b>178.34</b>	<b>178.34</b>	<b>118.61</b>	<b>-</b>	<b>118.61</b>	<b>336.00</b>	<b>-</b>	<b>259.07</b>	<b>259.07</b>	<b>172.72</b>	<b>-</b>	<b>172.72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Table 1.4: Abstract-Plan for Achieving Service Level Benchmarks

Proposed Priority Projects	Total Project Cost	Indicator	Baseline	Annual Targets based on Master Plan (Increment from the Baseline Value)					
				FY 2016		FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020
				H1	H2				
<b>Water Supply (27 projects)</b>	1187.15	1. Household level coverage of direct water supply connections	<b>45.12</b>	-	-	<b>9.50</b>	<b>21.30</b>	<b>43.12</b>	<b>54.88</b>
		2. Per capita quantum of water supplied	<b>98.16</b>	-	-	<b>3.00</b>	<b>11.80</b>	<b>31.23</b>	<b>36.84</b>
		3. Quality of water supplied	<b>81.14</b>	-	-	<b>3.00</b>	<b>7.60</b>	<b>16.30</b>	<b>18.86</b>
<b>Sewerage and Septage</b>	764.08	4. Coverage of latrines (individual or community)	<b>69.92</b>	-	-	<b>9.60</b>	<b>20.10</b>	<b>30.0</b>	<b>30.08</b>

<b>Management (11 projects)</b>	5. Coverage of sewerage network services	<b>4.67</b>	-	-	<b>2.00</b>	<b>30.00</b>	<b>78.0</b>	<b>95.33</b>
	6. Efficiency of Collection of Sewerage	<b>6.67</b>	-	-	<b>6.80</b>	<b>33.90</b>	<b>85.70</b>	<b>93.33</b>
	7. Efficiency in treatment	<b>8.33</b>	-	-	-	<b>23.89</b>	<b>87.34</b>	<b>91.67</b>

**Table 3.2: SAAP - Sector Wise Breakup of Consolidated Investments for all ULBs in the State (Amount in Cr.)FY: 2015-2020**


S. No.	Name of ULB	Water Supply	Sewerage and Septage Management	Others (Green Spaces & Parks)	Reforms	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Ambikapur	46.16	6.00	4.30	4.00	60.46
2	Bhilai	242.73	20.00	4.30	4.00	271.03
3	Bilaspur	245.53	21.79	8.00	6.39	281.71
4	Durg	47.43	15.00	4.30	4.00	70.73
5	Jagdalpur	74.00	10.00	4.30	4.00	92.3
6	Korba	207.03	18.00	4.30	4.00	233.3
7	Raigarh	96.44	10.00	4.30	4.00	114.74
8	Raipur	147.00	651.29	12.00	6.82	817.11
9	Rajnandgaon	80.83	12.00	4.30	4.00	101.13
	<b>TOTAL</b>	<b>1187.15</b>	<b>764.08</b>	<b>50.10</b>	<b>41.21</b>	
<b>Total Project Investments</b>						<b>2042.54</b>
<b>A&amp;OE</b>						<b>96.23</b>
<b>Grand Total</b>						<b>2138.77</b>



Sector Wise Breakup of Consolidated Investments for all ULBs in the State (Amount in Cr.) FY: 2016-2017

S. No.	Name of ULB	Water Supply	Sewerage and Septage Management	Others (Green Spaces & Parks)	Reforms	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Ambikapur	0.00	0.00	1.72	3.00	4.72
2	Bhilai	96.97	0.00	1.72	3.00	101.69
3	Bilaspur	81.85	0.00	3.20	3.00	88.05
4	Durg	5.88	0.00	1.72	3.00	10.6
5	Jagdalpur	24.67	0.00	1.72	3.00	29.4
6	Korba	83.07	0.00	1.72	3.00	87.8
7	Raigarh	32.15	0.00	1.72	3.00	36.87
8	Raipur	49.00	320.65	3.95	3.43	377.03
9	Rajnandgaon	26.94	0.00	1.72	3.00	31.66
	<b>TOTAL</b>	<b>400.53</b>	<b>320.65</b>	<b>19.19</b>	<b>27.43</b>	
<b>Total Project Investments</b>						<b>767.80</b>
<b>A&amp;OE (@10%)</b>						<b>33.60</b>
<b>Grand Total</b>						<b>801.40</b>

ULB wise distribution of Funds (2016-17)



Population of Mission Cities




Table 3.3: SAAP - ULB Wise Source of Funds for All Sectors (Amount in Cr.) FY: 2016-2017

S. No.	Name of ULB	Centre	State			ULB			Convergence	Others (e.g. incentive)	Total
			14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total			
1	Ambikapur	3.9	0.0	0.5	0.5	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	4.72
2	Bhilai	52.3	0.0	29.6	29.6	19.7	0.0	19.7	0.0	0.0	101.69
3	Bilaspur	45.5	0.0	25.5	25.5	17.0	0.0	17.0	0.0	0.0	88.05
4	Durg	6.8	0.0	2.3	2.3	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	10.60
5	Jagdalpur	16.2	0.0	7.9	7.9	5.3	0.0	5.3	0.0	0.0	29.39
6	Korba	45.4	0.0	25.4	25.4	17.0	0.0	17.0	0.0	0.0	87.79
7	Raigarh	19.9	0.0	10.2	10.2	6.8	0.0	6.8	0.0	0.0	36.87
8	Raipur	128.6	0.0	149.0	149.0	99.4	0.0	99.4	0.0	0.0	377.03
9	Rajnandgaon	17.3	0.0	8.6	8.6	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0	31.66
	<b>Total</b>	<b>336.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259.07</b>	<b>259.07</b>	<b>172.72</b>	<b>0.00</b>	<b>172.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>767.80</b>

S . N	Name of ULB	Project Investment	Committed Expenditure (if any) from Previous year		Proposed Spending during Current Financial year		Balance Carry Forward for Next Financial Years	
			State	ULB	State	ULB	State	ULB

Table 3.4: SAAP - Year Wise Share of Investments for All Sectors (ULB Wise) FY: 2016-2017

State Annual Action Plan (SAAP): Chhattisgarh (2016-2017)

o				14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total		14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total		14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total	
1	Ambikapur	<b>58.74</b>	27.50	-	15.9	<b>15.91</b>	10.60	-	<b>10.60</b>	3.86	-	<b>0.52</b>	0.52	0.34	-	<b>0.34</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bhilai	<b>200.59</b>	50.00	-	29.4	<b>29.37</b>	19.58	-	<b>19.58</b>	52.35	-	<b>29.61</b>	29.61	19.74	-	<b>19.74</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bilaspur	<b>196.67</b>	56.00	-	31.6	<b>31.57</b>	21.05	-	<b>21.05</b>	45.52	-	<b>25.51</b>	25.51	17.01	-	<b>17.01</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Durg	<b>63.13</b>	26.80	-	15.5	<b>15.46</b>	10.31	-	<b>10.31</b>	6.80	-	<b>2.28</b>	2.28	1.52	-	<b>1.52</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jagdalpur	<b>65.92</b>	18.80	-	10.7	<b>10.66</b>	7.11	-	<b>7.11</b>	16.20	-	<b>7.92</b>	7.92	5.28	-	<b>5.28</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Korba	<b>174.77</b>	44.00	-	26.0	<b>25.97</b>	17.02	-	<b>17.02</b>	45.40	-	<b>25.44</b>	25.44	16.96	-	<b>16.96</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Raigarh	<b>80.88</b>	22.50	-	12.9	<b>12.90</b>	8.60	-	<b>8.60</b>	19.94	-	<b>10.16</b>	10.16	6.77	-	<b>6.77</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Raipur	<b>441.82</b>	23.90	-	24.6	<b>24.56</b>	16.38	-	<b>16.38</b>	128.62	-	<b>149.05</b>	149.05	99.36	-	<b>99.36</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Rajnandgaon	<b>72.46</b>	20.90	-	11.9	<b>11.94</b>	7.96	-	<b>7.96</b>	17.33	-	<b>8.60</b>	8.60	5.73	-	<b>5.73</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Grand Total</b>		<b>1354.98</b>	<b>290.25</b>	-	178.34	<b>178.34</b>	<b>118.61</b>	-	<b>118.61</b>	<b>336.0</b>	-	<b>259.07</b>	<b>259.07</b>	<b>172.72</b>	-	<b>172.72</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

**Chapter 2: Review of SAAP (FY 2015-16)****Project Cost at a Glance:****Table 3.2: SAAP - Sector Wise Breakup of Consolidated Investments for all ULBs in the State (Amount in Cr.) For the Financial Year 2015-2016**

Sr. No.	Name of ULB	Water Supply	Sewerage and Septage Management	Others (Green Spaces & Parks)	Reforms	Total
1	2	3	4	7	8	9
1	Ambikapur	46.16	6.00	0.86	1.00	54.02
2	Bhilai	77.04	20.00	0.86	1.00	98.90
3	Bilaspur	81.84	21.79	1.60	3.39	108.62
4	Durg	35.67	15.00	0.86	1.00	52.53
5	Jagdalpur	24.67	10.00	0.86	1.00	36.53
6	Korba	67.12	18.00	0.86	1.00	87.00
7	Raigarh	32.15	10.00	0.86	1.00	44.01
8	Raipur	49.00	10.00	2.40	3.39	64.79
9	Rajnandgaon	26.94	12.00	0.86	1.00	40.8
	<b>TOTAL</b>	<b>440.59</b>	<b>122.79</b>	<b>10.02</b>	<b>13.78</b>	<b>587.18</b>
<b>Total Project Investments</b>						<b>587.18</b>
<b>A&amp;OE</b>						<b>8.98</b>
<b>Grand Total</b>						<b>596.16</b>



**Project Progress**

The physical and financial progress of SAAP 2015 – 16 is as follows:

S.No	Name of ULB	Approved SAAP		DPR (Y/N)	SLTC (Y/N)	Work Order (Y/N)	Implementation Progress		Amount disbursed till date (in cr.)
		Project Name	Amount (in Cr.)				Physical (%)	Financial (%)	
<b>Water Supply</b>									
1	Bhilai	Water Supply Scheme	242.73	Y	Y	N	NA	NA	7.70
2	Korba	Water Supply Scheme	207.03	Y	Y	N	NA	NA	6.71

**Note:** For other AMRUT cities for water supply, sewerage and septage management, parks the progress is as mentioned in the table below:

DPR (Y/N)	SLTC (Y/N)	Work Order (Y/N)	Implementation Progress		Amount disbursed till date
			Physical (%)	Financial (%)	
NA	NA	N	NA	NA	NA

- Have DPRs been prepared for all projects approved earlier? If not then which are the projects for which DPR is pending and why?  
In the state of Chhattisgarh only 3 DPRs have been prepared under the AMRUT scheme. The detailed engineering survey as well as data collection for DPRs for water supply scheme of 7 cities (Ambikapur, Raipur, Bilaspur, Durg, Jagdalpur, Raigarh&Rajnandgaon), sewerage and septage management of all 9 cities and green spaces & parks of 8 cities except Jagdalpur is under process. All DPRs will be prepared by November 2016.
- What is the plan of action for the pending DPRs?  
DPR preparation was delayed due to non-availability of detailed and up to date engineering data of the respective ULBs. Presently service provider for the same have been selected and all DPRs will be prepared by Nov 2016.
- How many SLTC meetings had been held in the State? How many DPRs have been approved by the SLTC till date?  
3 SLTC meetings have been held so far. SLTC meeting were held on 8<sup>th</sup> January, 21<sup>nd</sup> March 19<sup>th</sup> May 2016. 2 DPR's as mentioned below have been approved:

S. No	Name of the ULB	Project Name	Project Cost as per SAAP 2015-16 (Amount in cr.)	Project Cost approved by SLTC* (Amount in cr.)
1	Bhilai	Water Supply Scheme	231.11	242.73
2	Korba	Water Supply Scheme	201.36	207.03

*\*SAAP 2015-16 cost was based on Stage 1 estimates. After preparation of DPR with detailed cost estimates, technical approval from SLTC as well as administration approval from SHPSC the project cost has increased (2-5% increase).*

- By when will the pending DPRs be approved by the SLTC and when will implementation start?  
The approval of pending DPRs will be by December 2016 and the implementation will start by March 2017.
- Based on the identification of delayed projects and the reasons for slow physical progress, what is the plan of action to speed-up the projects?  
Physical progress – NA. To speed up the project implementation, approval process is proposed to be simplified. Approvals by SHPSC is awaited.
- How much amount has been utilized and what is the percentage share of the funding agencies? Are there any deviations from the approved funding pattern approved by the Apex Committee?  
The amount has not been utilized as on date. The sharing pattern is given below as per the AMRUT guidelines.

Type of City	Sharing Pattern		
	Centre	State	ULB
Above million plus cities (water supply & sewerage and septage management)	33.33%	40%	26.67%
Below million plus cities (water supply & sewerage and septage management)	50%	30%	20%
Others (Green spaces & parks)	50%	30%	20%
Reforms	100%		

- List out the projects where release of funds to ULBs by the State was delayed?  
NA
- In how many ULBs implementation was done by agencies other than ULBs? Was a resolution taken from all ULBs?

In Korba, for water supply scheme the construction of anicut will be done by Chhattisgarh Water Resources Department (parastatal department). The resolution has been passed by the ULB for the same.

- List out the projects where the assessed value approved by the Apex Committee was greater than the tendered value and there was a saving? Was this addressed by the HPSC in the present SAAP?  
NA.Tenders have not been awarded as yet.
- List out the number of city-wise projects where the second and third installments were claimed.  
NA
- List out the city-wise completed projects. Was the targeted benchmark achieved? Explain the reasons for non-achievement.  
No project has been completed.
- List out the details of projects taken up in PPP model. Describe the type of PPP.  
Till date no project has been taken up on PPP mode.
- List out and describe any out-of-the-box initiatives/Smart Solutions/resilience used/incorporated in the projects under implementation.  
Following smart solutions have been incorporated in the DPRs for Korba&Bhilai: SCADA/Actuator based valve/water quality analyzer/zero waste water discharge WTP.

**Service Levels**

Sectors	Service Level Benchmark	SAAP Baseline (as in 2015)	SAAP Mission Target	For the last Financial Year	
				Target up to beginning of current FY	Achievement up to beginning of current FY*
<b>Water Supply</b>	1. Household level coverage of direct water supply connections	45.12	100	-	-
	2. Per capita quantum of water supplied	98.16	135	-	-
	3. Quality of water supplied	81.14	100	-	-
<b>Sewerage &amp; Septage Management</b>	4. Coverage of latrines (individual or community)	69.92	100	-	-
	5. Coverage of sewerage network services	4.67	100	-	-
	6. Efficiency of Collection of Sewerage	6.67	100	-	-
	7. Efficiency in treatment	8.33	100	-	-

\* Project implementation has not started yet.

- In how many projects, city-wise, have targets not been achieved? What is the Plan of Action to achieve the targets? (tabular form; 500 words)  
NA
- What are the status of the ongoing DPR preparation and the plan of action for the pending DPRs? (300 words)  
In the state of Chhattisgarh only 3 DPRs have been prepared under the AMRUT scheme.  
DPRs for water supply scheme of 7 cities (Ambikapur, Raipur, Bilaspur, Durg, Jagdalpur, Raigarh&Rajnandgaon), sewerage/septage of all 9 cities and Parks & Green spaces of 8 cities except Jagdalpur is pending.
- How many SHPSC meetings had been held in the State? How many DPRs have been approved by the SHPSC till date? (250 words)

2 SHPSC meeting has been held on 20<sup>th</sup> October, 2015 and 27th May 2016.

### Capacity Building

Letter for signing of MoU for Capacity Building under all the 4 components has been issued to ASCI, Hyderabad. All the Capacity Building activities/ trainings will be done by ASCI after signing of the MoU.

S. No	Name of ULB	Name of Department	Total number to be trained in Mission period	Target to be trained during the previous Financial Year	Number fully trained during the previous Financial Year	Name training institute
NA (Since MOU has not been signed by any training institute, hence no such official training under AMRUT has been taken up. However, training of engineers of AMRUT cities has been done by Mission Directorate. )						

- In how many departments was training completed as approved in the SAAP of the last Financial Year? In how many departments was training partially done and in how many departments training not done at all? Please give reasons.  
No, as MoU has not been signed as yet. All the trainings as mentioned in SAAP 2015 – 16 will be undertaken in FY 2016 - 17
- List out the training institutes that could not complete training of targeted functionaries. What were the reasons and how will this be avoided in future?  
NA
- What is the status of utilization of funds?  
Funds for Capacity Building have not been utilized yet.
- Have the participants visited best practice sites? Give details.  
No
- Have the participants attended any national/international workshops, as per guideline (Annexure 7)? (350 words)  
No
- What is the plan of action for the pending activities, if any?  
ASCI will undertake the trainings/ capacity building after signing of the MoU. MoUs with other empaneled institutions will be done in the FY 2016 – 17 to speed up the process and match with the mission targets.

**Reforms**

S. No.	Reform Type	Reform Step/Milestone	Target for the last FY	Achievement for the last FY	Number of ULBs achieved 70 percent	Number of ULBs not achieved 70 percent
1	<b>E-Governance</b>	Creation of ULB website	Yes	Yes	9	0
		Publication of E-Newsletter, Digital India initiative	Yes	Yes	9	0
		Support Digital India (PPP mode/ducting by ULB itself)	Yes	Yes	9	0
2	<b>Constitution and Professionalization of municipal cache</b>	Policy for engagement of interns in ULBs and implementation.	Yes	Yes	9	0
3	<b>Augmenting double entry accounting</b>	Complete migration to double entry accounting system and obtaining an audit certificate to the effect from FY 2012-13 onwards	Yes	Yes	9	0
		Publication of Annual financial statement on website	Yes	Yes	9	0
4	Urban Planning and City Development Plans	Preparation of Service Level Improvement Plans (SLIP), State Annual Action Plans (SAAP).	Yes	Yes	9	0
		Make action plan to progressively increase Green cover in cities to 15% in 5 years.	Yes	Yes	9	0
		Develop at least one children park every year in the AMRUT cities.	Yes	Yes	9	0
		Establish a system for maintaining of parks, playground and recreational areas relying on People Public Private Partnership (PPPP) model.	Yes	Yes	9	0
5	<b>Devolution of funds and functions</b>	Ensure transfer of 14th FC devolution to ULBs.	Yes	Yes	9	0

S. No.	Reform Type	Reform Step/Milestone	Target for the last FY	Achievement for the last FY	Number of ULBs achieved 70 percent	Number of ULBs not achieved 70 percent
		Appointment of State Finance Commission (SFC) and making decisions.	Yes	Yes	9	0
		Transfer of all 18 function to ULBs.	Yes	Yes	9	0
6	Review of Building	Revision of building bye laws periodically.	Yes	Yes	9	0
		Create single window clearance for all approvals to give building permissions.	Yes	Yes	9	0
7 (a)	Municipal tax and fees improvement	Atleast 90 % coverage of property tax	Yes	Yes	9	0
		Atleast 90% collection of property tax	Yes	Yes	8	1
		Make a policy to, periodically revise property tax, levy charges and other fees.	Yes	Yes	9	0
		Post Demand Collection Balance(DCB) of tax details on the website	Yes	Partially achieved	4	5
		Achieve full potential of advertisement revenue by making a policy for destination specific potential having dynamic pricing module.	Yes	Yes	9	0
7 (b)	Improvement in levy and collection of user	Separate accounts for user charges	Yes	Yes	9	0
		At least 90% billing of water charges	Yes	Yes	9	0
		At least 90% collection of water charges	Yes	Partially achieved	5	4



S. No.	Reform Type	Reform Step/Milestone	Target for the last FY	Achievement for the last FY	Number of ULBs achieved 70 percent	Number of ULBs not achieved 70 percent
		Make action plan to reduce water losses to less than 20% and publish on the website.	Yes	Yes	9	0
		Adopt a policy on user for individual assessments in which a differential rate is charged for water use and adequate safeguard are included to take care of the interest of vulnerable.	Yes	Yes	9	0
8	Energy and Water audit	Energy (Street lights) and Water Audit (including non-revenue water or losses audit)	Yes	Not achieved	0	9
		Making STPs and WTPs energy efficient.	Yes	Not achieved	0	9
		Optimize energy consumption in street lights by using energy efficient lights and increasing reliance on renewable energy	Yes	Partially achieved	7	2

- Have the Reform formats prescribed by the TCPO furnished?  
Yes
- Did the State as a whole complete 70 percent of Reforms? If, yes was the incentive claimed?  
Yes, the incentive claimed in Rs. 29.025 Cr.
- What was the amount of incentive claimed? How was it distributed among the ULBs and what was it used for?  
The amount of incentive claimed is Rs. 29.025 Cr. The reform incentive fund will be distributed to the ULBs in proportion to their project cost as given in SAAP.

- What is the status of Reforms to be completed in the Mission period? Has advance action been taken and a Plan of Action prepared? (500 words)  
In total of 11 set of reforms having 52 milestones each will be achieved as per the timeline stipulated in the AMRUT guidelines. The Plan of Action for the same is being prepared and will be finalized in next SHPSC.
- Give any instances of innovation in Reform implementation.  
NA

**Use of A&OE**

- What are the items for which the A&OE has been used?  
A&OE not used yet
- Are the items similar to the approved items in SAAP or there is any deviation? If yes, list the items with reasons.  
NA
- What is the utilization status of funds?  
NA
- Has the IRMA been appointed? What was the procedure followed?  
Draft RFP for appointing of IRMA is under discussion. The same will be appointed by the second quarter of FY 2016 – 17.
- If not appointed, give reason for delay and the likely date of appointment.  
The likely date of appointment of IRMA will be 16<sup>th</sup> August, 2016.
- Have you taken up activities connected to E-Municipality as a Service (E-MAAS)? Please give details.  
Yes the activities have been undertaken. The details are annexed with reform incentive claim form.
- Have you displayed the logo and tagline of AMRUT prominently on all projects? Please give list.  
Yes
- Have you utilized the funds on any of the inadmissible components (para 4.4)? If yes, give list and reasons.  
No

**Funds flow**

One reason for project delay has been delayed release of funds. In the following table indicate the status of funds release and resource mobilization.

S. No	Name of ULB	Project Name	Funds Flow (Amount in Cr.)							
			Gol		State		ULB/Others		Total funds flow to Project	Total spent on Project
			Approved Amount	Disbursed	Approved Amount	Disbursed	Approved Amount	Disbursed		
1	Ambikapur	Water Supply Scheme	23.08	4.62	13.85	-	9.232	-	4.62	
		Sewerage and Septage Management	3.00	0.60	1.80	-	1.2	-	0.60	
		Green spaces & parks	0.43	0.09	0.3	-	0.172	-	0.09	
2	Bhilai	Water Supply Scheme	38.52	7.70	23.11	-	15.408	-	7.70	
		Sewerage and Septage Management	10.00	2.00	6.00	-	4.00	-	2.00	
		Green spaces & parks	0.43	0.09	0.26	-	0.172	-	0.09	
3	Bilaspur	Water Supply Scheme	40.92	8.18	24.552	-	16.368	-	8.18	
		Sewerage and Septage Management	10.895	2.18	6.54	-	4.36	-	2.18	
		Green spaces & parks	0.80	0.16	0.48	-	0.32	-	0.16	

S. No	Name of ULB	Project Name	Funds Flow (Amount in Cr.)							
			Gol		State		ULB/Others		Total funds flow to Project	Total spent on Project
			Approved Amount	Disbursed	Approved Amount	Disbursed	Approved Amount	Disbursed		
4	Durg	Water Supply Scheme	17.84	3.57	10.70	-	7.13	-	3.57	-
		Sewerage and Septage Management	7.50	1.50	4.50	-	3.00	-	1.50	-
		Green spaces & parks	0.43	0.09	0.258	-	0.172	-	0.09	-
5	Jagdalpur	Water Supply Scheme	12.34	2.47	7.40	-	4.934	-	2.47	-
		Sewerage and Septage Management	5.00	1.00	3.00	-	2.00	-	1.00	-
		Green spaces & parks	0.43	0.09	0.258	-	0.172	-	0.09	-
6	Korba	Water Supply Scheme	33.56	6.71	20.14	-	13.424	-	6.71	-
		Sewerage and Septage Management	9	1.80	5.40	-	3.6	-	1.80	-
		Green spaces & parks	0.43	0.09	0.258	-	0.172	-	0.09	-
7	Raigarh	Water Supply Scheme	16.08	3.22	9.645	-	6.43	-	3.22	-
		Sewerage and Septage Management	5.00	1.00	3.00	-	2.00	-	1.00	-

S. No	Name of ULB	Project Name	Funds Flow (Amount in Cr.)							
			Gol		State		ULB/Others		Total funds flow to Project	Total spent on Project
			Approved Amount	Disbursed	Approved Amount	Disbursed	Approved Amount	Disbursed		
		Green spaces & parks	0.43	0.09	0.258	-	0.172	-	0.09	-
8	Raipur	Water Supply Scheme	16.33	3.27	19.6	-	13.07	-	3.27	-
		Sewerage and Septage Management	3.33	0.67	4.00	-	2.67	-	0.67	-
		Green spaces & parks	0.80	0.16	0.96	-	0.64	-	0.16	-
9	Rajnandgaon	Water Supply Scheme	13.47	2.69	8.08	-	5.388	-	2.69	-
		Sewerage and Septage Management	6.00	1.20	3.60	-	2.4	-	1.20	-
		Green spaces & parks	0.43	0.09	0.258	-	0.172	-	0.09	-
	<b>Total</b>		<b>276.47</b>	<b>55.29</b>	<b>178.16</b>	<b>-</b>	<b>118.78</b>	<b>-</b>	<b>55.29</b>	<b>-</b>

- In how many projects, city-wise, has the full funds been sanctioned and disbursed?  
No, project under AMRUT has not yet started. Therefore, funds have not been disbursed to ULBs.
- Identify projects where delay in funds release led to delay in project implementation?  
NA. There is no such instance
- Give instances of doing more with less during implementation.

NA. There is no such instance.

#### **Fund disbursements and Conditions**

- How many project fund request has been made to the Gol?  
The state has received its 1<sup>st</sup> installment of 20% (Rs. 55.29 Cr.). No request for 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> installment has been made yet.
- How many installments the Gol has released?  
Only 1<sup>st</sup> installment has been released.
- Is there any observation from the Gol regarding the claims made?  
No.
- List out the conditions imposed by the Apex Committee, State HPSC and the SLTC. Have all the conditions been complied with? If, no identify the conditions not complied with and give reasons for non-compliance.  
Yes, all the conditions have been complied with.

The following conditions have been imposed by the APEX committee in the meeting held on 26<sup>th</sup> November, 2015.

- i. State government need to clearly indicate about the availability of Land and other clearances. No project should be approved by State Level Technical Committee (SLTC) which do not have land available and no work order should be issued till receipt of all clearances from all concerned departments/authorities.
- ii. Action Plan for recycling/reuse of waste water and reduction of NRW should be placed before the SLTC at the time of appraisal of DPRs.
- iii. The state government should try to attain convergence between the AMRUT & SBM according to Mission Guidelines.
- iv. The break-up of coverage with sewerage network (centralized and decentralized) and septage (septic tanks) may be clearly brought out during DPR approval by SLTC.
- v. Estimates in the SAAP should be based on SSR and not on market rates.
- vi. Water Quality should also be analyzed at the consumer end.
- vii. Capacity Building details to be provided to NIUA/MoUD. A useful starting point will be to train all engineers who have made the SLIPs/ SAAP.
- viii. Implementation of reforms will make State/UTs eligible for annual incentive. In order to get incentives reforms should be broken up into activities with timeline and sent to TCPO by the State Mission Director.

**Chapter 3: STATE ANNUAL ACTION PLAN (SAAP)****Table 3.1: SAAP – Master Plan of all projects details to achieve universal coverage during the current Mission period based on Table 2.1 (Amount in Cr.) FY: 2015-2020**

Sr. No.	Name of ULB (water supply and sewerage)	Total number of projects to achieve universal coverage	Estimated Amount (cr.)	Number of years to achieve universal coverage
1	2	3	4	5
1	Ambikapur	2	52.16	3
2	Bhilai	4	242.73	5
3	Bilaspur	3	267.32	5
4	Durg	8	62.43	5
5	Jagdalpur	4	84.00	5
6	Korba	2	225.03	4
7	Raigarh	4	106.44	5
8	Raipur	7	798.29	5
9	Rajnandgaon	4	92.83	5
<b>Grand Total</b>		<b>38</b>	<b>1951.23</b>	<b>5</b>

**Table 3.5: SAAP – State level Plan for Achieving Service Level Benchmarks**

Proposed Priority Projects	Total Project Cost	Indicator	Baseline	Annual Targets based on Master Plan (Increment from the Baseline Value)					
				FY 2016		FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020
				H1	H2				
<b>Water Supply</b>									
27	1187.15	1. Household level coverage of direct water supply connections	45.12	-	-	9.50	21.30	43.12	54.88
		2. Per capita quantum of water supplied	98.16	-	-	3.00	11.80	31.23	36.84



Proposed Priority	Total Project Cost	Indicator	Baseline	Annual Targets based on Master Plan (Increment from the Baseline Value)					
				FY 2016		FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020
		3. Quality of water supplied	<b>81.14</b>	-	-	<b>3.00</b>	<b>7.60</b>	<b>16.30</b>	<b>18.86</b>
<b>Sewerage and Septage Management</b>									
11	764.08	4. Coverage of latrines (individual or community)		-	-	<b>9.6</b>	<b>20.1</b>	<b>30.0</b>	<b>30.08</b>
		5. Coverage of sewerage network services		-	-	<b>2.0</b>	<b>30.0</b>	<b>78.0</b>	<b>95.33</b>
		6. Efficiency of Collection of Sewerage		-	-	<b>6.80</b>	<b>33.90</b>	<b>85.70</b>	<b>93.33</b>
		7. Efficiency in treatment		-	-		<b>23.89</b>	<b>87.34</b>	<b>91.67</b>

The table below provides the details of the projects sector wise that are being posed for approval to the Apex Committee.

S.No.	City	Sector	Estimated cost and share (Amount in cr.)				Change in service levels		
			GoI	State	ULB	Total	Indicator	Existing	After completion period
1	Ambikapur	Parks and Open Spaces	0.86	0.52	0.34	1.72			
		Reforms	3	-	-	3.00			
		<b>Sub-Total</b>	<b>3.86</b>	<b>0.52</b>	<b>0.34</b>	<b>4.72</b>			
2	Bhilai	Water Supply	48.49	29.09	19.39	96.97	1. Household level coverage of direct water supply connections	41.20%	100.0%
							2. Per capita quantum of water supplied (lpcd)	111.8	100.0%
							3. Quality of water supplied (%)	96.3	100.0%
		Parks and Open Spaces	0.86	0.516	0.34	1.72			

S.No.	City	Sector	Estimated cost and share (Amount in cr.)				Change in service levels		
			GoI	State	ULB	Total	Indicator	Existing	After completion period
		Reforms	3.00	-	-	3.00			
		<b>Sub-Total</b>	<b>52.35</b>	<b>29.61</b>	<b>19.74</b>	<b>101.69</b>			
3	Bilaspur	Water Supply	40.92	24.55	16.37	81.85	1. Household level coverage of direct water supply connections	59.92%	100.0%
							2. Per capita quantum of water supplied (lpcd)	130	100.0%
							3. Quality of water supplied (%)	100	100.0%
		Parks and Open Spaces	1.6	0.96	0.64	3.20			
		Reforms	3.00	-	-	3.00			
		<b>Sub-Total</b>	<b>45.52</b>	<b>25.51</b>	<b>17.01</b>	<b>88.05</b>			
4	Durg	Water Supply	2.94	1.76	1.18	5.88	1. Household level coverage of direct water supply connections	53.20%	100.0%
							2. Per capita quantum of water supplied (lpcd)	50.8	100.0%
							3. Quality of water supplied (%)	94.2	100.0%
		Parks and Open Spaces	0.86	0.516	0.344	1.72			
		Reforms	3.00	-	-	3.00			
		<b>Sub-Total</b>	<b>6.80</b>	<b>2.28</b>	<b>1.52</b>	<b>10.60</b>			
5	Jagdalpur	Water Supply	12.34	7.40	4.93	24.67	1. Household level coverage of direct water supply connections	62.10%	100.0%
							2. Per capita quantum of water supplied (lpcd)	65	100.0%
							3. Quality of water supplied (%)	64.9	100.0%

S.No.	City	Sector	Estimated cost and share (Amount in cr.)				Change in service levels		
			GoI	State	ULB	Total	Indicator	Existing	After completion period
		Parks and Open Spaces	0.86	0.516	0.344	1.72			
		Reforms	3.00	-	-	3.00			
		<b>Sub-Total</b>	<b>16.20</b>	<b>7.92</b>	<b>5.28</b>	<b>29.39</b>			
6	Korba	Water Supply	41.535	24.92	16.61	83.07	1. Household level coverage of direct water supply connections	21.20%	
							2. Per capita quantum of water supplied (lpcd)	57.26	
							3. Quality of water supplied (%)	100	
		Parks and Open Spaces	0.86	0.516	0.344	1.72			
		Reforms	3.00	-	-	3.00			
		<b>Sub-Total</b>	<b>45.40</b>	<b>25.44</b>	<b>16.96</b>	<b>87.79</b>			
7	Raigarh	Water Supply	16.08	9.65	6.43	32.15	1. Household level coverage of direct water supply connections	38.40%	100.0%
							2. Per capita quantum of water supplied (lpcd)	103.7	100.0%
							3. Quality of water supplied (%)	<b>86.9</b>	100.0%
		Parks and Open Spaces	0.86	0.516	0.344	1.72			
		Reforms	3.00	-	-	3.00			
		<b>Sub-Total</b>	<b>19.94</b>	<b>10.16</b>	<b>6.77</b>	<b>36.87</b>			
8	Raipur	Water Supply	16.33	19.60	13.07	49.00	1. Household level coverage of direct water supply connections	47.0%	100.0%
							2. Per capita quantum of water supplied (lpcd)	127	100.0%
							3. Quality of water supplied (%)	98	100.0%

S.No.	City	Sector	Estimated cost and share (Amount in cr.)				Change in service levels		
			GoI	State	ULB	Total	Indicator	Existing	After completion period
		Sewerage	106.88	128.26	85.51	320.65	1. Coverage of latrines (individual or community)	81.7	100.0%
							2. Coverage of sewerage network services	0	100.0%
							3. Efficiency of Collection of Sewerage	0	100.0%
							4. Efficiency in treatment	0	100.0%
		Parks and Open Spaces	1.98	1.19	0.79	3.95			
		Reforms	3.43	-	-	3.43			
		<b>Sub-Total</b>	<b>128.62</b>	<b>149.05</b>	<b>99.36</b>	<b>377.03</b>			
<b>9</b>	<b>Rajnandgaon</b>	Water Supply	13.47	8.082	5.388	26.94	1. Household level coverage of direct water supply connections	53.30%	100.0%
							2. Per capita quantum of water supplied (lpcd)	130.12	100.0%
							3. Quality of water supplied (%)	100	100.0%
		Parks and Open Spaces	0.86	0.516	0.344	1.72			
		Reforms	3.00	-	-	3.00			
		<b>Sub-Total</b>	<b>17.33</b>	<b>8.60</b>	<b>5.73</b>	<b>31.66</b>			
		<b>Grand Total</b>	<b>336.00</b>	<b>259.07</b>	<b>172.72</b>	<b>767.80</b>			

**1. Principles of Prioritization**

- Has consultation with local MPs/ MLAs, Mayors and Commissioners of the concerned ULBs been carried out prior to allocation of funding? Give details of dates and number of participants.

**Yes, all the stakeholders i.e. Commissioners/ Chief Municipal Officers, Elected Representatives, technical officers as well as citizens of the concerned cities have been consulted prior to allocation of funds. Details of citizen and stakeholder consultation are given in annexure**

- Has financially weaker ULBs given priority for financing? Please give list.  
**Yes, proposals (as provided in SLIP) of all the 9 cities for achieving universal coverage have been considered in SAAP. Equal opportunity has been given to all the ULBs based on service level gap for achieving universal coverage.**
- Is the ULB with a high proportion of urban poor has received higher share? Please give list.

**Yes, the sharing pattern is given below as per the AMRUT guidelines**

Type of City	Sharing Pattern		
	Centre	State	ULB
Above million plus cities (water supply & sewerage, septage management)	33.33%	40%	26.67%
Below million plus cities (water supply & sewerage, septage management)	50%	30%	20%
Others (Green spaces & parks)	50%	30%	20%
Reforms	100%		

- Has the potential Smart cities been given preference? Please give list.  
**Yes, in the state of Chhattisgarh two cities – Raipur and Bilaspur have been selected to be developed as Smart Cities. Therefore preference has been given to these cities while allocating funds. In total mission outlay share of Raipur and Bilaspur is as under:**

Year	Raipur	Bilaspur
<b>FY 2015 – 16</b>	11.03%	18.5%
<b>FY 2016 - 17</b>	49.11%	12%

- What is the quantum of Central Assistance (CA) allocated to the State during 2016-17?  
**The quantum of Central Assistance allocated to the state for the year 2016 – 17 is Rs. 336 Cr. Sector wise breakup of the allocation is as follows:**

- a. **Water Supply – Rs. 192.10 Cr.**
- b. **Sewerage – Rs.106.88 CR**
- c. **Storm Water Drains – NIL**
- d. **Parks – Rs.9.60 cr**
- e. **Reforms—Rs.27.42 Crore**

**ULB wise breakup of the allocation of Central Assistance is as follows:**

S. No	Name of the ULB	Central Assistance (in Rs. Cr.)
1	Ambikapur	3.9
2	Bhilai	52.3
3	Bilaspur	45.5
4	Durg	6.8
5	Jagdalpur	16.2
6	Korba	45.4
7	Raigarh	19.9
8	Raipur	128.6
9	Rajnanadgaon	17.3
	<b>Total</b>	<b>336.0</b>

- Has the allocation to different ULBs within State is consistent with the urban profile of the state?  
**Yes, the urban profile of respective ULBs have been considered while disbursement of FFC grant as ULB share.**
- 2. **Importance of O&M**
  - Do projects proposed in the SAAP include O&M for at least five years? What is the nature of O&M?  
**Yes, all the projects proposed under the mission includes O&M for at least 5 years. It has been planned to incorporate necessary provisions of O&M in the respective DPRs and Contract documents.**
  - How O&M expenditures are propose to be funded by ULBs/ parastatal?  
**The operation and maintenance of the projects proposed under the Mission will be done by the concerned ULBs and the cost of O&M shall be funded through user-charges collected by the respective ULBs.**

- Is it by way of levy of user charges or other revenue streams?

**It is proposed that cost of O&M shall be recovered by way of user charges, which will be collected by the respective ULB. However, in the initial phase until the full roll out, the cost of O&M is proposed to be funded by the grants-in-aid provided to ULBs under various heads. O & M cost estimates have been prepared forming part of the DPRs and based on proposed Water Tariff, the revenue collection forecast has also been carried for Intermediate and Ultimate stage of the Schemes.**

- Has O&M cost been excluded from project cost for the purpose of funding?

**Yes, for the purpose of calculation of the project cost, the O&M cost has been excluded as per the Guidelines of the Mission.**

- What kind of model been proposed by States/ULBs to fund the O&M? Please discuss.

**The O&M cost of the proposed services under various projects concerning water supply, sewerage, drainage etc. shall be funded by the respective ULB through user charges and dovetailing with funds available under other schemes as applicable. Additionally, PPP opportunities shall be explored to recover the user charges however, in the initial phase user charges may not be sufficient to fund the entire O&M cost for which innovative proposals like energy saving projects, reduction in NRW etc. will be considered.**

- Is it through an appropriate cost recovery mechanism in order to make them self-reliant and cost-effective? How?

Cost recovery mechanism shall be formulated while preparation of DPR and bid document. It will be an integral part of all projects proposed under the mission.

### 3. Reform Implementation

Some of the criteria that should be considered while preparing the SAAP:

- Fill out the tables prescribed by the TCPO. What are the Reform type, steps and Target for 2016-17?

**Table 5.2: Reform Type, Steps and Target for AMRUT Cities in Chhattisgarh FY 2016 - 17**

S. No.	Type	Steps	Implementation Timeline	Target to be set by states in SAAP				Remarks
				Oct. 2015 to Mar. 2016	April to Sept2016	Oct. 2016 to Mar. 2017	Apr. to Sep. 2017	
1	E Governance	1. Coverage with E-MASS (from the date of hosting the software)	24 months					Partially achieved. To be accomplished within prescribed timeline
		Registration of Birth, Death and Marriage						

		Water & Sewerage Charges						
		Grievance Redressal						
		Property Tax						
		Advertisement Tax						
		Issuance of Licenses						
		Building Permissions						
		Mutations						
		Pay Roll						
		Pension and e-Procurement						
2	Constitution and professionalization of municipal cadre	1. Establishment of Municipal Cadre	24 months					Under Progress. To be accomplished within prescribed timeline
		2. Cadre linked training						To be accomplished within prescribed timeline
3	Augmenting double entry accounting	Appointment of internal auditor	24 months					Partially achieved. To be accomplished within prescribed timeline
4	Urban Planning and City Development Plans	1. Make a State level policy for implementation the parameters given the National Mission for Sustainable Habitat	24 months					Policy will be formulated within the timelines stipulated under the mission.



5	Devolution of Funds and functions	1. Implementation of SFC recommendations within timeline.	24 months					Partially achieved. To be accomplished within prescribed timeline
6	Review of Building by-laws	1. State to formulate a policy and action plan for having a solar roof top in all buildings having an area greater than 500 square meters and all public buildings.	24 months					Partially achieved. To be accomplished within prescribed timeline
		2. State to formulate a policy and action plan for having Rainwater harvesting structures in all commercial, public buildings and new buildings on plots of 300sq. meters and above.	24 months					
7	Set-up financial intermediary at state level	1. Establish and operationalize financial intermediary-pool finance, access external funds, float municipal bonds.	24 months					To be accomplished within prescribed timeline
8	Credit Rating	1. Complete the credit ratings of the ULBs.	24 months					To be accomplished within prescribed timeline

9	Energy and Water audit	1. Give incentives for green buildings (e.g. rebate in property tax or charges connected to building permission/ development charges).	24 months					
---	------------------------	--	-----------	--	--	--	--	--

- What is the outcome of the self-evaluation done for reporting progress on reform implementation in order to receive the 10% incentive?

The total score obtained by ULBs in the state is 2220, ULB wise scores are given in table 5.5.

**Table 5.5: Self- Evaluation for reporting progress on Reform Implementation**

S.No	Name of ULB	Maximum Score possible during the year	Score obtained ULB Wise
1	Ambikapur	280	230
2	Bhilai	280	260
3	Bilaspur	280	240
4	Durg	280	260
5	Jagdalpur	280	260
6	Korba	280	240
7	Raigarh	280	250
8	Raipur	280	240
9	Rajnandgaon	280	240
Subtotal ULB		2520	2220
<b>State/ Total</b>		<b>2520</b>	<b>2220</b>

- Have any issues been identified during the review by HPSC on Reforms implementation? What are the issues?  
Yes. Reform incentive should be claimed on time each year and reform implementation should be 100%.
- Have these issues been considered while planning for reform implementation? How?  
Yes. AMRUT mission management for reform implementation has been appointed for the same.

NA

**4. Annual Capacity Building Plan**

**Table 7.2.1: Fund requirement for Individual Capacity Building at ULB level**

S. No.	Name of ULB	Total numbers to be trained in the current financial year, Department wise						Name of the Training Institution (s) identified	No. of Training Programmes to be conducted	Fund Reqd. in current FY (₹ in Cr.)
		Elected Reps.	Finance Dept.	Engg Dept.	Town Planning Dept.	Admin. Dept.	Total			
1	Ambikapur	48	4	9	0	14	75	i. State Administrative Academy ii. ASCI, Hyderabad	5 batches of 30 participants each	12.73
2	Bhilai	67	12	40	10	50	179			
3	Bilaspur	66	10	24	5	16	121			
4	Durg	60	4	19	0	10	93			
5	Jagdalpur	48	3	6	0	6	63			
6	Korba	67	8	40	0	50	165			
7	Raigarh	48	5	5	0	25	83			
8	Raipur	70	15	120	20	50	275			
9	Rajnandgaon	51	3	9	0	40	103			
	<b>Total</b>	<b>525</b>	<b>64</b>	<b>272</b>	<b>35</b>	<b>261</b>	<b>1157</b>			

**Table 7.2.2: Fund requirement for State level activities**

Sl. No.	State Level activities	Cumulative funds released up to current FY	Total expenditure up to current FY	Unspent funds available from earlier releases	Funds required for the current FY (In Crore)
1	RPMC (SMMU)	0.00	0.00	0.00	8.94
	SRPMC/ SMMU				
	CRPMC/ CMMU				
2	UMC	0.0	0.0	0.0	0.00
3	Others (Workshops, Seminars, etc.) are approved by NIUA	0.0	0.0	0.0	1.01
4	Institutional/ Reform	0.0	0.0	0.0	0.05
	<b>Total</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10.00</b>

**Table 7.2.3: Total Fund requirement for Capacity Building**

Sl. No.	Fund requirement	Individual (Training & Workshop)	Institutional/ Reform	SMMU/RPMC/CMMU	Others	Total (In Crore)
1	Total release since start of Mission (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Total utilization-Central Share	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Balance available-Central Share	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Amount required-Central Share	12.73	0.05	8.94	1.01	22.73
5	Total fund required for capacity building in current FY 2015-16	12.73	0.05	8.94	1.01	22.73

- Is the State willing to revise their town planning laws and rules to include land pooling?  
**Yes, required revisions are partially completed, detailed revision will be completed within reform implementation timeline. Already framework is in Chhattisgarh Bhumi VikasNiyam 1984.**
- List of ULBs willing to have a credit rating done as the first step to issue bonds?  
**2 ULBs Raipur and Bilaspur (potential Smart Cities) are set in the 1<sup>st</sup> Phase to issue bonds.**
- Is the State willing to integrate all work done in GIS in order to make GIS useful for decision-making in ULBs?  
**Yes, state completed GIS mapping of all mission cities under GIS based PTIS and BPMS project. All the 9 ULBs have 83 layered GIS base map. GIS Master Plan is being prepared and is currently being used in decision making. State is planning to develop an IT & GIS based system for decision making.**
- Is the State willing to take assistance for using land as a fiscal tool in ULBs?  
**Yes, state is exploring the possibility of using land as fiscal tool in ULBs. Raipur Smart City Proposal having provision of land incentivization.**
- Does the State require assistance to professionalize the municipal cadre?  
**Yes, a Regional Institute of Urban Management is approved in principle by MoUD. Grant as well sanction awaited from Gol.**
- Does the State require assistance to reduce non-revenue water in ULBs?  
**Proposed in SAAP under reform implementation plan**
- Does the State require assistance to improve property tax assessment and collections in ULBs?  
**Yes. State partially completed the GIS based Property Tax Evaluation project in all the mission cities. For proper implementation of the project, state needs support from Gol.**
- Does the State require assistance to establish a financial intermediary?  
**Yes.**
- Any other capacity assistance to implement the AMRUT Reform Agenda as set out in these Guidelines?  
**AMMU has been established for the same. Additional fund required for convergence of Digital India.**
- What is the physical and financial Progress of capacity development at state level? (350 words)  
**Letter for signing of MoU for Capacity Building under all the 4 components has been issued to ASCI, Hyderabad. All the Capacity Building activities/ trainings will be done by ASCI after signing of the MoU.**
- Do you feel that there is a need to include any other category of official, new department or module? (400 words)  
**Yes, expertise required for cadre linked training**
- What are the issues that are been identified during the review? (350 words)

**Inadequate skill and knowledge level of ULB officials and engineers. Need of financial intermediary.**

- Have the activities in your current year Capacity Building Plan – training, exposure visits (ULB staff and elected representatives), seminars/workshops, etc. – been vetted/approved by NIUA?

**Proposal being submitted.**

- What is the present institutional capacity in the ULBs of the state; have the RPMC, UMC, etc. been appointed? Are there other PMUs, PIUs, etc. which are still operational?

**NO. Proposal being submitted.**

- What has been the progress during the previous year/s in institutional capacity building, especially but not only in the seven areas that are mentioned in the AMRUT Guidelines?

**No. Letter for signing of MoU for Capacity Building under all the 4 components has been issued to ASCI, Hyderabad. All the Capacity Building activities/ trainings will be done by ASCI after signing of the MoU.**

- Attach the Quarterly Score Cards on p. 73 of the Mission Guidelines.

**Not eligible as implementation is not there.**

- Have those issues been addressed? How?

**NA**

5. **A&OE**6. **Table 4: SAAP - Broad Proposed Allocations for Administrative and Other Expenses (Amount in Cr.)**

Sr. No.	Items proposed for A&OE	Total Allocation	Committed Expenditure from previous year (if any)	Proposed spending for Current Financial year	Balance to Carry Forward		
					FY 2018	FY 2019	FY 2020
1	Project Development & Management Consultants	36.06	6.74	7.33	7.33	7.33	7.33
2	Procuring Third Party Independent Review and Monitoring Agency	6.00	0.14	1.47	1.47	1.46	1.46
3	Publications (e-Newsletter, guidelines, brochures etc.)	2.81	0.14	0.67	0.67	0.67	0.66
4	Capacity Building and Training - CCBP, if applicable - Others	59.00	0.56	14.61	14.61	14.61	14.61
5	Reform implementation	25.00	0.28	6.18	6.18	6.18	6.18
6	a. Office Equipments (for PDMC & AMMU 10Nos each)	2.75	0.00	2.00	0.75	0.00	0.00
	b. Detailed Engineering Survey for preparation of DPRs	10.00	0.00	7.00	1.50	1.50	0.00
	c. SLB study for AMRUT Cities	2.50	0.00	0.25	2.25	0.00	0.00
	d. Others	5.61	0.28	1.34	1.33	1.33	1.33
	<b>Total</b>	<b>149.73</b>	<b>8.14</b>	<b>40.85</b>	<b>36.09</b>	<b>33.08</b>	<b>31.57</b>

- What is the committed expenditure from previous year?  
Rs.8.14 Cr.
- What are the issues that are being identified during the review?

**A&OE received is not sufficient. Total A&OE allocation for Mission Period is not clearly defined. Since it is not clearly defined, proper planning of mission planning and implementation could not be done. PDMC established at state level for transparency of procurement process.**

- Have the A&OE fund used only for admissible components?

**Yes. As per table 4.4.of AMRUT Guidelines.**

- How the ULB/State wants to carry out the implementation of the projects, (establishment of IRMA/PDMC/SMMU/CMMU)?

**Team appointed for monitoring and construction supervision under PDMC is inadequate. It needs to be augmented at all ULB level with field staff. Moreover, a dedicated team for PMC could be deployed at each ULB level for better implementation. Also additional designed for achieving the targets set out in SAAP may kindly be allowed.**

## **7. Financing of Projects**

- What is the State contribution to the SAAP? (should be greater than 20 percent, Para 7.4 of AMRUT Guidelines)

**Total allocation proposed for SAAP for the year 2016 – 17 is Rs. 767.80 Cr. Out of this central government’s contribution for Chhattisgarh is Rs.336.00 crore. The state’s contribution to the SAAP for the year 2016 – 17 is Rs. 259.07cr. This is 33.745 % of the total allocation made under SAAP for the current year. State’s share is 40% in case of cities with population above 10 lakhs (Raipur) and 30% in case of cities with population below 10 lakhs (other 8 cities except Raipur) as per AMRUT Guidelines.**

- How the residual financing (over and above Central Government share) is shared between the States, ULBs?

**The financial support from the central government for projects proposed under AMRUT is in line with the funding pattern stipulated in the Mission guidelines i.e. 1/3<sup>rd</sup> for cities with population above 10 lakhs and ½ for cities with population below 10 lakhs. The state share will be 40% in case of cities with population above 10 lakhs and 30% for cities with population below 10 lakhs.**

- Fill out Table 3.3 at pg 44 of AMRUT Guidelines. Has any other sources identified by the State/ULB (e.g. PPP, market borrowing)? Please discuss.

**Assistance from Gol is required to mobilize foreign funding.**

- Whether complete project cost is linked with revenue sources in SAAP? Please describe.

**Yes, ULB share is funded through FFC, self-revenue and 10% additional reforms incentive proposed under AMRUT which can be availed by the ULBs.**

Has projects been dovetailed with other sectoral and financial programme of the Centre and State Governments?

**Yes, SBM/ State Sponsored Scheme/ Digital India/ IPDs**



- Has States/UTs explored the possibility of using Public Private Partnerships (PPP), as a preferred execution model? Please discuss.  
**While formulating the detailed Project reports (DPRs), PPP options shall be explored for O&M of projects under various sectors.**
- Are PPP options included appropriate Service Level Agreements (SLAs) which may lead to the People Public Private Partnership (PPPP) model? How?  
**Service Level Agreements will be included at DPR & RFP stage as per SLIP & SAAP. PPPP model prepared for open space/ Parks/ Green spaces/ Lakes and place making.**

**Table 3.3 (a): Year wise share of investments for all sectors (Amount in cr.) FY: 2015-2016**

Sr. No.	Name of ULB	Centre	State			ULB			Convergence	Others (e.g. incentive)	Total
			14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total			
1	Ambikapur	27.5	0.0	15.9	15.9	10.6	0.0	10.60	0.0	0.0	54.02
2	Bhilai	50.0	0.0	29.4	29.4	19.6	0.0	19.58	0.0	0.0	98.90
3	Bilaspur	56.0	0.0	31.6	31.6	21.0	0.0	21.05	0.0	0.0	108.62
4	Durg	26.8	0.0	15.5	15.5	10.3	0.0	10.31	0.0	0.0	52.53
5	Jagdalpur	18.8	0.0	10.7	10.7	7.1	0.0	7.11	0.0	0.0	36.53
6	Korba	44.0	0.0	25.80	25.80	17.2	0.0	17.2	0.0	0.0	86.98
7	Raigarh	22.5	0.0	12.9	12.9	8.6	0.0	8.60	0.0	0.0	44.01
8	Raipur	23.9	0.0	24.6	24.6	16.4	0.0	16.38	0.0	0.0	64.79
9	Rajnandgaon	20.9	0.0	11.9	11.90	8.0	0.0	7.96	0.0	0.0	40.80
	<b>Total</b>	<b>290.25</b>	<b>0.00</b>	<b>178.16</b>	<b>178.16</b>	<b>118.77</b>	<b>0.00</b>	<b>118.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>587.18</b>

**Table 3.3 (b): Year wise share of investments for all sectors (Amount in cr.) FY: 2016-2017**

Sr. No.	Name of ULB	Centre	State			ULB			Convergence	Others (e.g. incentive)	Total
			14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total			
1	Ambikapur	3.9	0.0	0.5	0.5	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	4.72
2	Bhilai	52.3	0.0	29.6	29.6	19.7	0.0	19.7	0.0	0.0	101.69
3	Bilaspur	45.5	0.0	25.5	25.5	17.0	0.0	17.0	0.0	0.0	88.05
4	Durg	6.8	0.0	2.3	2.3	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	10.60
5	Jagdalpur	16.2	0.0	7.9	7.9	5.3	0.0	5.3	0.0	0.0	29.39
6	Korba	45.4	0.0	25.4	25.4	17.0	0.0	17.0	0.0	0.0	87.79
7	Raigarh	19.9	0.0	10.2	10.2	6.8	0.0	6.8	0.0	0.0	36.87
8	Raipur	128.6	0.0	149.0	149.0	99.4	0.0	99.4	0.0	0.0	377.03
9	Rajnandgaon	17.3	0.0	8.6	8.6	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0	31.66
	<b>Total</b>	<b>336.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259.07</b>	<b>259.07</b>	<b>172.72</b>	<b>0.00</b>	<b>172.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>767.80</b>

**Table 3.3 (c): Year wise share of investments for all sectors (Amount in cr.) FY: 2015-2017**

Sr. No.	Name of ULB	Centre	State			ULB			Convergence	Others (e.g. incentive)	Total
			14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total			
1	Ambikapur	31.4	0.0	16.4	16.4	10.9	0.0	10.9	0.0	0.0	58.74
2	Bhilai	102.3	0.0	59.0	59.0	39.3	0.0	39.3	0.0	0.0	200.59
3	Bilaspur	101.5	0.0	57.1	57.1	38.1	0.0	38.1	0.0	0.0	196.67
4	Durg	33.6	0.0	17.7	17.7	11.8	0.0	11.8	0.0	0.0	63.13
5	Jagdalpur	35.0	0.0	18.6	18.6	12.4	0.0	12.4	0.0	0.0	65.92
6	Korba	89.4	0.0	51.2	51.2	34.2	0.0	34.2	0.0	0.0	174.77
7	Raigarh	42.4	0.0	23.1	23.1	15.4	0.0	15.4	0.0	0.0	80.88
8	Raipur	152.5	0.0	173.6	173.6	115.7	0.0	115.7	0.0	0.0	441.82
9	Rajnandgaon	38.2	0.0	20.5	20.5	13.7	0.0	13.7	0.0	0.0	72.46
	<b>Total</b>	<b>626.24</b>	<b>0.00</b>	<b>437.24</b>	<b>437.24</b>	<b>291.50</b>	<b>0.00</b>	<b>291.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1354.98</b>

Chapter 4: Tables

**Table 1.1: Breakup of Total MoUD Allocation in AMRUT (Amount in Cr.)**

Name of State: Chhattisgarh

FY: 2016-17

Total Central funds allocated to State	Allocation of Central funds for A&OE	Allocation of funds for AMRUT (Central share)	Central Allocation	State/ULB Share	Total AMRUT annual size (cols.4+5)
1	2	3	4	5	6
120.96	8.96	112.00	336.00	431.79	767.8

**Table 1.2.1: Abstract-Sector Wise Proposed Total Project Fund and Sharing Pattern (Amount in cr.) FY: 2015-2020**

S. No.	Sector	No. of Projects	Centre	State	ULB	Convergence	Others	Total
1	Water Supply	27	568.91	370.85	247.00	0.00	0.00	1187.15
2	Sewerage and Septage Management	11	272.42	294.35	197.31	0.00	0.00	764.08
3	Others (Green Spaces & Parks)	28	24.65	15.44	10.01	0.00	0.00	50.10
	<b>Sub-Total</b>		<b>865.98</b>	<b>680.05</b>	<b>454.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2001.33</b>
4	Reforms		41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	41.21
	<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>907.19</b>	<b>680.64</b>	<b>454.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2042.54</b>

Table 1.2.2: Abstract Break –up of Total Fund Sharing Pattern (Amount in Cr.) FY: 2015-2020

S. No.	Sector	Centre	State			ULB			Convergence	Others	Total
		Mission	14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total			
1	Water Supply	568.91	0.00	370.85	370.85	247.40	0.00	247.40	0.00	0.00	<b>1187.15</b>
2	Sewerage and Septage Management	272.42	0.00	294.35	294.35	197.31	0.00	197.31	0.00	0.00	<b>764.08</b>
3	Others (Green Spaces & Parks)	24.65	0.00	15.44	15.44	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	<b>50.10</b>
	<b>Sub-Total</b>	<b>865.98</b>	0.00	680.05	680.64	454.71	0.00	454.71	0.00	0.00	<b>2001.33</b>
4	Reforms	<b>41.21</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>41.21</b>
	<b>Grand Total</b>	<b>907.19</b>	<b>0.00</b>	<b>680.64</b>	<b>680.64</b>	<b>454.71</b>	<b>0.00</b>	<b>454.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2042.54</b>

Table 1.3: Abstract-Use of Funds on Projects: On Going and New (Amount in Cr.) FY: 2016-2017

S. No	Sector	Total Project Investment	Committed Expenditure (if any) from Previous year (2015-16)						Proposed Spending during Current Financial year						Balance Carry Forward for Next Financial Years								
			Centre	State			ULB			Centre	State			ULB			Centre	State			ULB		
				14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total		14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total		14th FC	Others	Total			
1	Water Supply	841.12	212.13	-	137.08	137.08	91.39	-	91.39	192.10	-	125.06	125.06	83.37	-	83.37	-	-	-	-	-	-	-
2	Sewerage and Septage Management	443.44	59.73	-	37.84	37.84	25.23	-	25.23	106.88	-	128.26	128.26	85.51	-	85.51	-	-	-	-	-	-	-
3	Others (Green Spaces & Parks)	29.21	4.61	-	3.42	3.42	1.99	-	1.99	9.60	-	5.76	5.76	3.84	-	3.84	-	-	-	-	-	-	-
4	Reforms	41.21	13.78	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	27.43	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Grand Total</b>	<b>1354.98</b>	<b>290.25</b>	<b>-</b>	<b>178.34</b>	<b>178.34</b>	<b>118.61</b>	<b>-</b>	<b>118.61</b>	<b>336.00</b>	<b>-</b>	<b>259.07</b>	<b>259.07</b>	<b>172.72</b>	<b>-</b>	<b>172.72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Table 1.4: Abstract-Plan for Achieving Service Level Benchmarks

Proposed Priority Projects	Total Project Cost	Indicator	Baseline	Annual Targets based on Master Plan (Increment from the Baseline Value)					
				FY 2016		FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020
				H1	H2				
<b>Water Supply (27 projects)</b>	1187.15	1. Household level coverage of direct water supply connections	<b>45.12</b>	-	-	<b>9.50</b>	<b>21.30</b>	<b>43.12</b>	<b>54.88</b>
		2. Per capita quantum of water supplied	<b>98.16</b>	-	-	<b>3.00</b>	<b>11.80</b>	<b>31.23</b>	<b>36.84</b>
		3. Quality of water supplied	<b>81.14</b>	-	-	<b>3.00</b>	<b>7.60</b>	<b>16.30</b>	<b>18.86</b>
<b>Sewerage and Septage</b>	764.08	4. Coverage of latrines (individual or community)	<b>69.92</b>	-	-	<b>9.60</b>	<b>20.10</b>	<b>30.0</b>	<b>30.08</b>

<b>Management (11 projects)</b>	5. Coverage of sewerage network services	<b>4.67</b>	-	-	<b>2.00</b>	<b>30.00</b>	<b>78.0</b>	<b>95.33</b>
	6. Efficiency of Collection of Sewerage	<b>6.67</b>	-	-	<b>6.80</b>	<b>33.90</b>	<b>85.70</b>	<b>93.33</b>
	7. Efficiency in treatment	<b>8.33</b>	-	-	-	<b>23.89</b>	<b>87.34</b>	<b>91.67</b>

**Table 3.1: Master Plan of all projects details to achieve universal coverage during the current Mission period based on Table 2.1**

(Amount in Cr.) FY: 2015-2020

Sr. No.	Name of ULB (water supply and sewerage)	Total number of projects to achieve universal coverage	Estimated	Number of years to achieve universal coverage
1	2	3	4	5
1	Ambikapur	2	52.16	3
2	Bhilai	4	262.73	5
3	Bilaspur	3	267.32	5
4	Durg	8	62.43	5
5	Jagdalpur	4	84.00	5
6	Korba	2	225.03	4
7	Raigarh	4	106.44	5
8	Raipur	7	798.29	5
9	Rajnandgaon	4	92.83	5
<b>Grand Total</b>		<b>38</b>	<b>1951.23</b>	<b>5</b>

**Table 3.2: SAAP - Sector Wise Breakup of Consolidated Investments for all ULBs in the State (Amount in Cr.)FY: 2015-2020**

S. No.	Name of ULB	Water Supply	Sewerage and Septage Management	Others (Green Spaces & Parks)	Reforms	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Ambikapur	46.16	6.00	4.30	4.00	60.46
2	Bhilai	242.73	20.00	4.30	4.00	271.03
3	Bilaspur	245.53	21.79	8.00	6.39	281.71
4	Durg	47.43	15.00	4.30	4.00	70.73
5	Jagdalpur	74.00	10.00	4.30	4.00	92.3
6	Korba	207.03	18.00	4.30	4.00	233.3
7	Raigarh	96.44	10.00	4.30	4.00	114.74
8	Raipur	147.00	651.29	12.00	6.82	817.11
9	Rajnandgaon	80.83	12.00	4.30	4.00	101.13
	<b>TOTAL</b>	<b>1187.15</b>	<b>764.08</b>	<b>50.10</b>	<b>41.21</b>	
<b>Total Project Investments</b>						<b>2042.54</b>
<b>A&amp;OE</b>						<b>96.23</b>
<b>Grand Total</b>						<b>2138.77</b>

Sector Wise Breakup of Consolidated Investments for all ULBs in the State (Amount in Cr.) FY: 2016-2017

S. No.	Name of ULB	Water Supply	Sewerage and Septage Management	Others (Green Spaces & Parks)	Reforms	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Ambikapur	0.00	0.00	1.72	3.00	4.72
2	Bhilai	96.97	0.00	1.72	3.00	101.69
3	Bilaspur	81.85	0.00	3.20	3.00	88.05
4	Durg	5.88	0.00	1.72	3.00	10.6
5	Jagdalpur	24.67	0.00	1.72	3.00	29.4
6	Korba	83.07	0.00	1.72	3.00	87.8
7	Raigarh	32.15	0.00	1.72	3.00	36.87
8	Raipur	49.00	320.65	3.95	3.43	377.03
9	Rajnandgaon	26.94	0.00	1.72	3.00	31.66
	<b>TOTAL</b>	<b>400.53</b>	<b>320.65</b>	<b>19.19</b>	<b>27.43</b>	
<b>Total Project Investments</b>						<b>767.80</b>
<b>A&amp;OE (@10%)</b>						<b>33.60</b>
<b>Grand Total</b>						<b>801.40</b>



Table 3.3: SAAP - ULB Wise Source of Funds for All Sectors (Amount in Cr.) FY: 2016-2017

S. No.	Name of ULB	Centre	State			ULB			Convergence	Others (e.g. incentive)	Total
			14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total			
1	Ambikapur	3.9	0.0	0.5	0.5	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	4.72
2	Bhilai	52.3	0.0	29.6	29.6	19.7	0.0	19.7	0.0	0.0	101.69
3	Bilaspur	45.5	0.0	25.5	25.5	17.0	0.0	17.0	0.0	0.0	88.05
4	Durg	6.8	0.0	2.3	2.3	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	10.60
5	Jagdalpur	16.2	0.0	7.9	7.9	5.3	0.0	5.3	0.0	0.0	29.39
6	Korba	45.4	0.0	25.4	25.4	17.0	0.0	17.0	0.0	0.0	87.79
7	Raigarh	19.9	0.0	10.2	10.2	6.8	0.0	6.8	0.0	0.0	36.87
8	Raipur	128.6	0.0	149.0	149.0	99.4	0.0	99.4	0.0	0.0	377.03
9	Rajnandgaon	17.3	0.0	8.6	8.6	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0	31.66
	<b>Total</b>	<b>336.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259.07</b>	<b>259.07</b>	<b>172.72</b>	<b>0.00</b>	<b>172.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>767.80</b>

S. N o.	Name of ULB	Total Project Investment	Committed Expenditure (if any) from Previous year						Proposed Spending during Current Financial year						Balance Carry Forward for Next Financial Years								
			Centre	State			ULB			Centre	State			ULB			Centre	State			ULB		
				14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total		14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total		14th FC	Others	Total			

Table 3.4: SAAP - Year Wise Share of Investments for All Sectors (ULB Wise) (Amount in Cr.) FY: 2016-2017

State Annual Action Plan (SAAP): Chhattisgarh (2016-2017)

1	Ambikapur	<b>58.74</b>	27.50	-	15.9	<b>15.91</b>	10.60	-	<b>10.60</b>	3.86	-	<b>0.52</b>	0.52	0.34	-	<b>0.34</b>	-	-	-	-	-	-
2	Bhilai	<b>200.59</b>	50.00	-	29.4	<b>29.37</b>	19.58	-	<b>19.58</b>	52.35	-	<b>29.61</b>	29.61	19.74	-	<b>19.74</b>	-	-	-	-	-	-
3	Bilaspur	<b>196.67</b>	56.00	-	31.6	<b>31.57</b>	21.05	-	<b>21.05</b>	45.52	-	<b>25.51</b>	25.51	17.01	-	<b>17.01</b>	-	-	-	-	-	-
4	Durg	<b>63.13</b>	26.80	-	15.5	<b>15.46</b>	10.31	-	<b>10.31</b>	6.80	-	<b>2.28</b>	2.28	1.52	-	<b>1.52</b>	-	-	-	-	-	-
5	Jagdalpur	<b>65.92</b>	18.80	-	10.7	<b>10.66</b>	7.11	-	<b>7.11</b>	16.20	-	<b>7.92</b>	7.92	5.28	-	<b>5.28</b>	-	-	-	-	-	-
6	Korba	<b>174.77</b>	44.00	-	26.0	<b>25.97</b>	17.02	-	<b>17.02</b>	45.40	-	<b>25.44</b>	25.44	16.96	-	<b>16.96</b>	-	-	-	-	-	-
7	Raigarh	<b>80.88</b>	22.50	-	12.9	<b>12.90</b>	8.60	-	<b>8.60</b>	19.94	-	<b>10.16</b>	10.16	6.77	-	<b>6.77</b>	-	-	-	-	-	-
8	Raipur	<b>441.82</b>	23.90	-	24.6	<b>24.56</b>	16.38	-	<b>16.38</b>	128.62	-	<b>149.05</b>	149.05	99.36	-	<b>99.36</b>	-	-	-	-	-	-
9	Rajnandgaon	<b>72.46</b>	20.90	-	11.9	<b>11.94</b>	7.96	-	<b>7.96</b>	17.33	-	<b>8.60</b>	8.60	5.73	-	<b>5.73</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Grand Total</b>		<b>1354.98</b>	<b>290.25</b>	-	178.34	<b>178.34</b>	<b>118.61</b>	-	<b>118.61</b>	<b>336.00</b>	-	<b>259.07</b>	<b>259.07</b>	<b>172.72</b>	-	<b>172.72</b>	-	-	-	-	-	-

Table 3.5: SAAP – State level Plan for Achieving Service Level Benchmarks

Proposed Priority Projects	Total Project Cost	Indicator	Baseline	Annual Targets based on Master Plan (Increment from the Baseline Value)					
				FY 2016		FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020
				H1	H2				
<b>Water Supply</b>									
27	1187.15	1. Household level coverage of direct water supply	<b>45.12</b>	-	-	<b>9.50</b>	<b>21.30</b>	<b>43.12</b>	<b>54.88</b>

Proposed Priority	Total Project Cost	Indicator	Baseline	Annual Targets based on Master Plan (Increment from the Baseline Value)					
				FY 2016		FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020
		connections							
		2. Per capita quantum of water supplied	<b>98.16</b>	-	-	<b>3.00</b>	<b>11.80</b>	<b>31.23</b>	<b>36.84</b>
		3. Quality of water supplied	<b>81.14</b>	-	-	<b>3.00</b>	<b>7.60</b>	<b>16.30</b>	<b>18.86</b>
<b>Sewerage and Septage Management</b>									
11	764.08	4. Coverage of latrines (individual or community)		-	-	<b>9.6</b>	<b>20.1</b>	<b>30.0</b>	<b>30.08</b>
		5. Coverage of sewerage network services		-	-	<b>2.0</b>	<b>30.0</b>	<b>78.0</b>	<b>95.33</b>
		6. Efficiency of Collection of Sewerage		-	-	<b>6.80</b>	<b>33.90</b>	<b>85.70</b>	<b>93.33</b>
		7. Efficiency in treatment		-	-		<b>23.89</b>	<b>87.34</b>	<b>91.67</b>

Table 4: SAAP - Broad Proposed Allocations for Administrative and Other Expenses (Amount in Cr.)

Sr.	Items proposed for A&OE	Total	Committed	Proposed	Balance to Carry Forward
-----	-------------------------	-------	-----------	----------	--------------------------

No.		Allocation	Expenditure from previous year (if any)	spending for Current Financial year	FY 2018	FY 2019	FY 2020
1	<b>Project Development &amp; Management Consultants</b>	36.06	6.74	7.33	7.33	7.33	7.33
2	<b>Procuring Third Party Independent Review and Monitoring Agency</b>	6.00	0.14	1.47	1.47	1.46	1.46
3	<b>Publications (e-Newsletter, guidelines, brochures etc.)</b>	2.81	0.14	0.67	0.67	0.67	0.66
4	<b>Capacity Building and Training - CCBP, if applicable - Others</b>	59.00	0.56	14.61	14.61	14.61	14.61
5	<b>Reform implementation</b>	25.00	0.28	6.18	6.18	6.18	6.18
6	<b>a. Office Equipments (for PDMC &amp; AMMU 10Nos each)</b>	2.75	0.00	2.00	0.75	0.00	0.00
	<b>b. Detailed Engineering Survey for preparation of DPRs</b>	10.00	0.00	7.00	1.50	1.50	0.00
	<b>c. SLB study for AMRUT Cities</b>	2.50	0.00	0.25	2.25	0.00	0.00
	<b>d. Others</b>	5.61	0.28	1.34	1.33	1.33	1.33
	<b>Total</b>	<b>149.73</b>	<b>8.14</b>	<b>40.85</b>	<b>36.09</b>	<b>33.08</b>	<b>31.57</b>

Table 5.2: Reforms Type, Steps and Target for AMRUT Cities FY: 2016 - 2017

Sr. No.	Type	Steps	Implementation Timeline	Target to be set by states in SAAP				Remarks
				Oct. 2015 to Mar. 2016	April to Sept2016	Oct. 2016 to Mar. 2017	Apr. to Sep. 2017	
1	E Governance	1. Coverage with E-MASS (from the date of hosting the software)	24 months					Partially achieved. To be accomplished within prescribed timeline
		Registration of Birth, Death and Marriage						
		Water & Sewerage Charges						
		Grievance Redressal						
		Property Tax						
		Advertisement Tax						
		Issuance of Licenses						
		Building Permissions						
		Mutations						
		Pay Roll						
2	Constitution and professionalization of municipal cadre	1. Establishment of Municipal Cadre	24 months					Under Progress. To be accomplished within prescribed timeline
		2. Cadre linked training						To be accomplished within prescribed timeline
3	Augmenting double entry accounting	Appointment of internal auditor	24 months					Partially achieved. To be accomplished within prescribed timeline
4	Urban Planning and City Development Plans	1. Make a State level policy for implementation the parameters given the National Mission for Sustainable Habitat	24 months					Policy will be formulated within the timelines stipulated under the mission.
5	Devolution of Funds and functions	1. Implementation of SFC recommendations within timeline.	24 months					Partially achieved. To be accomplished within prescribed

Sr. No.	Type	Steps	Implementation Timeline	Target to be set by states in SAAP				Remarks
				Oct. 2015 to Mar. 2016	April to Sept2016	Oct. 2016 to Mar. 2017	Apr. to Sep. 2017	
								timeline
6	Review of Building by-laws	1. State to formulate a policy and action plan for having a solar roof top in all buildings having an area greater than 500 square meters and all public buildings.	24 months					Partially achieved. To be accomplished within prescribed timeline
		2. State to formulate a policy and action plan for having Rainwater harvesting structures in all commercial, public buildings and new buildings on plots of 300sq. meters and above.	24 months					
7	Set-up financial intermediary at state level	1. Establish and operationalize financial intermediary- pool finance, access external funds, float municipal bonds.	24 months					To be accomplished within prescribed timeline
8	Credit Rating	1. Complete the credit ratings of the ULBs.	24 months					To be accomplished within prescribed timeline
9	Energy and Water audit	1. Give incentives for green buildings (e.g. rebate in property tax or charges connected to building permission/ development charges).	24 months					

Table 5.5: SAAP- Self- Evaluation for Reporting Progresson ReformImplementation (FY 2015 – 16)

S.No	Name of ULBs	Maximum Score possible during the year	Score obtained ULB Wise
1	Ambikapur	280	230
2	Bhilai	280	260
3	Bilaspur	280	240
4	Durg	280	260
5	Jagdalpur	280	260
6	Korba	280	240
7	Raigarh	280	250
8	Raipur	280	240
9	Rajnandgaon	280	240
Subtotal ULB		2520	2220
State/ Total		2520	2220

**Table 7.2.1: Fund Requirement for Individual Capacity Building at ULB level**



Sl. No.	Name of ULB	Total numbers to be trained in the current financial year, department wise						Name of the Training Institution (s) identified	No. of Training Programmes to be conducted	Fund Reqd. in current FY (₹ in Lakhs)
		Elected Reps.	Finance Dept.	Engineering Dept.	Town Planning Dept.	Admin. Dept.	Total			
1	Ambikapur	48	4	9	0	14	75	i. State Administrative Academy ii. State will issue EoI for empanelment of other training partners iii. Capacity Building activities/ trainings will be done by ASCI after signing of MoU	5 batches of 30 participants each	12.73
2	Bhilai	67	12	40	10	50	179			
3	Bilaspur	66	10	24	5	16	121			
4	Durg	60	4	19	0	10	93			
5	Jagdalpur	48	3	6	0	6	63			
6	Korba	67	8	40	0	50	165			
7	Raigarh	48	5	5	0	25	83			
8	Raipur	70	15	120	20	50	275			
9	Rajnandgaon	51	3	9	0	40	103			
	Total	525	64	272	35	261	1157			

Table 7.2.2: Fund requirement for State level activities

Sl. No.	State Level activities	Cumulative funds released up to current FY	Total expenditure up to current FY	Unspent funds available from earlier releases	Funds required for the current FY (In Crore)
1	RPMC (SMMU)	0.00	0.00	0.00	8.94
	SRPMC/ SMMU				
	CRPMC/ CMMU				
2	UMC	0.0	0.0	0.0	0.00
3	Others (Workshops, Seminars, etc.) are approved by NIUA	0.0	0.0	0.0	1.01
4	Institutional/ Reform	0.0	0.0	0.0	0.05
	<b>Total</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10.00</b>

**Table 7.2.3: Total Fund requirement for Capacity Building**

Sl. No.	Fund requirement	Individual (Training & Workshop)	Institutional/ Reform	SMMU/RPMC/CMMU	Others	Total (In Crore)
1	Total release since start of Mission (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Total utilization-Central Share	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Balance available-Central Share	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Amount required-Central Share	12.73	0.05	8.94	1.01	22.73
5	Total fund required for capacity building in current FY 2015-16	12.73	0.05	8.94	1.01	22.73

**Table 3.3: ULB Wise Source of Funds for All Sectors (Amount in Cr.)**

**For the Financial Year 2016-2017**

Sr. No.	Name of ULB	Centre	State			ULB			Convergence	Others (e.g. incentive)	Total
			14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total			
1	Ambikapur	27.5	0.0	15.9	15.9	10.6	0.0	10.60	0.0	0.0	54.02
2	Bhilai	50.0	0.0	29.4	29.4	19.6	0.0	19.58	0.0	0.0	98.90
3	Bilaspur	56.0	0.0	31.6	31.6	21.0	0.0	21.05	0.0	0.0	108.62
4	Durg	26.8	0.0	15.5	15.5	10.3	0.0	10.31	0.0	0.0	52.53
5	Jagdalpur	18.8	0.0	10.7	10.7	7.1	0.0	7.11	0.0	0.0	36.53
6	Korba	44.0	0.0	26.0	26.0	17.0	0.0	17.02	0.0	0.0	86.98
7	Raigarh	22.5	0.0	12.9	12.9	8.6	0.0	8.60	0.0	0.0	44.01
8	Raipur	23.9	0.0	24.6	24.6	16.4	0.0	16.38	0.0	0.0	64.79
9	Rajnandgaon	20.9	0.0	11.9	11.9	8.0	0.0	7.96	0.0	0.0	40.80
	<b>Total</b>	<b>290.24</b>	<b>0.00</b>	<b>178.34</b>	<b>178.34</b>	<b>118.61</b>	<b>0.00</b>	<b>118.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>587.18</b>

## Stakeholder Consultation

कार्यालय  
सांसद रायपुर लोकसभा क्षेत्र (उ.ग.)  
आन्ध्रराष्ट्र के बाह्य राजमन्वन मार्ग  
सिविल लाइन, रायपुर - 0771-2432309

### कार्यालय सांसद लोकसभा रायपुर

विषय :- विकास में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

संदर्भ :- आयुक्त नगर निगम रायपुर का पत्र क्र./8049/दिनांक 06.10.2015।

मिशन हेतु केन्द्र/राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय, सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत राशि रु. 688.68 करोड़ तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. **पेय जल प्रदाय :-** पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि रु. 147.60 करोड़ रु. का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवास गृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। नगर निगम, रायपुर में वर्तमान में जुड़े 07 गांवों एवं छूटे स्थलों में नई पाइप लाइन, स्मार्ट मीटर एवं पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं ऑपरेशन के कार्यों की मॉनिटरिंग हेतु रकाबा सॉफ्टवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।
2. **सीवरेज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट -** अंडरग्राउंड प्रदूषण को रोकने के लिये निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिये राशि रु. 10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगर निगम, रायपुर में संपूर्ण क्षेत्र में सीवरेज कार्य हेतु 04 जोन में डी.पी.आर. तैयार किया गया है। वर्तमान में प्रथम चरण अंतर्गत केवल 02 जोन में डी.पी.आर. के अनुसार राशि रु. 516.29 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
3. **हरित स्थल एवं पार्क :-** नगर में प्रदूषण को रोकने के लिये हरियाली एवं बच्चों के लिये विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है। जिस हेतु राशि रु. 12.00 करोड़ की प्रावधान किया गया है।
4. **सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि :-** मिशन अमृत के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले REFORM समय सीमा में पूर्ण किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 3.39 करोड़ आगामी वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार

कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा निर्देश का निर्धारण MPSC द्वारा किया जावेगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जावेगी।

उपरोक्त क्रमांक- 01 से 03 के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान 33 प्रतिशत तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 67 प्रतिशत है। मिशन के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय का अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 40 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 27 प्रतिशत मानकर SLIP का प्रारूप तैयार किया गया है।

उपरोक्तानुसार अमृत मिशन के अंतर्गत नगर निगम रायपुर द्वारा प्रस्तावित कार्य की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

  
रमेश बैरा  
सांसद  
लोक सभा रायपुर



## कार्यालय नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छ.ग.)

विकास भवन नेहरू चौक, बिलासपुर

फोन नं. 07752-222642 फेक्स नं. 07752-413886

Email- commissionerbilaspur@yahoo.com website-www.bmcibilaspur.com



### योजना का संक्षिप्त विवरण

**विषय :-** नगर निगम बिलासपुर द्वारा मिशन अमृत (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

मिशन हेतु प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेंज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 278.71 करोड़ रुपये तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :-


- 1. पेयजल प्रदाय** – पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि रुपये 245.53 करोड़ रुपये का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें जल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में अंतरराष्ट्रीय मानकों (135 प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिये खारंग जलाशय (खुटाघाट) के पास इन्टेक वेल कम पम्प हाउस का निर्माण कर 1200 एमएम व्यास (लंबाई 39.21 कि.मी.) के डीआई पाईप के माध्यम से पेयजल प्राप्त होगा। 77 एमएलडी क्षमता का जलशोधन संयंत्र दोमुहानी विलेसिग रिजर्वायर, क्लीयर वॉटर पंपिंग एवं वितरण प्रणाली (लगभग लंबाई 35.12 कि.मी.) का प्रावधान किया गया है। पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं आपरेशन के कार्य की मॉनिटरिंग हेतु रकबा साफ्टवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।
- 2. सीवरेंज** – सीवरेंज की वर्तमान चलिता योजना के पूर्ण होने पर 40000 घरों को सीवरेंज की सुविधा प्राप्त होगी। वर्ष 2021 की डिमांड के अनुसार कुल 55000 घरों को कनेक्शन प्रदान किया जाना होगा, जिसके लिए 14.15 कि.मी. सीवरेंज पाईप लाइन एवं 15000 प्रापर्टी चेम्बर कनेक्शन की आवश्यकता होगी। इस हेतु राशि रु. 16.32 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कार्य पूर्ण करने की समयसीमा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 निर्धारित की गई।



3. सेप्टेज मैनेजमेंट - अमरसरावण्ड प्रदूषण को रोकने के लिये निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सुजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिये सेप्टेज मैनेजमेंट के लिये राशि रुपये 5.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत 2 नग सीवरेंज संकलन एवं जेटिंग मशीन 9000 लीटर क्षमता एवं 3 नग जेटिंग मशीन 500 लीटर क्षमता के साथ-साथ कुछ कॉलोनी जिनका ब्रांडड लोकल नीचे है अनुमानित आवासों की संख्या 2720 है, सीवरेंज से जुड़ना संभव नहीं है, जिनमें सेप्टिक टैंक के स्थान पर बायोडायजेस्टर का प्रावधान किया गया है।
4. हरित स्थल एवं पार्क - नगर में प्रदूषण को रोकने के लिये हरियाली एवं बच्चों के लिये विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है। जिस हेतु राशि रुपये 8.00 करोड़ की परियोजना सम्मिलित की गई है।
5. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि - मिशन अमृत को दिशा-निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इस सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु राशि रुपये 3.39 करोड़ आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा, जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जावेगी।

कानुनशिरा

  
**लखन लाल साहू**  
सांसद  
लोकसभा क्षेत्र, बिलासपुर (उ.ग.)

  
कार्यपालन अभियंता  
नोडल अधिकारी, अमृत मिशन  
नगर पालिक निगम  
बिलासपुर (उ.ग.)

ताम्रद्वय साहू  
सांसद  
लोकसभा, दुर्ग (छ.ग.)



सदस्य : लोकसभा पूर्व इलाहाबाद भाग्यवती समिति  
सदस्य : संसदीय राजभाषा समिति  
सदस्य : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय  
पतनसौदागरी समिति  
सदस्य : केंद्रीय संसदीय दल कार्यकारिणी समिति,

नई दिल्ली  
पत्र क्र. 1083/सांसा/दुर्ग  
दिनांक 10/10/2015

**विषय:-** निकाश में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

**संदर्भ:-** महापौर नगर निगम दुर्ग पत्र क्र./314/ दिनांक 07/10/2015।

मिशन अमृत को विशा-निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय बरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए, मिशन अवधि के लिए सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है।


मिशन हेतु प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय बरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवर/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रवधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 67.73 करोड़ रु तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. **पेयजल प्रदाय-** पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 47.45 करोड़ का प्रवधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें गल संचयन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 प्रति व्यक्ति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रवधान किया गया है।
2. **सेप्टेज मैनेजमेंट-** अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक सामुदायिक शौचालयों में स्थित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए प्रथम अरण में राशि 15.00 करोड़ रु का प्रवधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत सीवर/ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण तथा समुचित सक्शन यूनिट/वैक्यूम इम्पटीयर कंग किये जाने का प्रवधान है। नगर के समस्त सैप्टिक टैंक को सूचीबद्ध कर, मल गंध प्रवधान, परिवहन एवं शोधन तथा सीवर और सैप्टिक टैंकों की सफाई एवं निर्धारित समयवधि के अंतर्गत किया जाना सम्मिलित है।
3. **हरित स्थल एवं पार्क-** नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रवधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु 4.30 करोड़ रु की परियोजना सम्मिलित की गई है।

नई दिल्ली : 102, क्रांति अपार्टमेंट्स, डॉ. विशम्पा दास मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 दूरभाष : 011-23321476,  
दुर्ग : मीनाक्षी नगर, बोरसी रोड (छ.ग.)- 491001 दूरभाष: 0788-2323999 Email : loksabhadurg14@gmail.com



शुभचिन्तक साहू  
संसद  
ताम्रवर्ज साहू (छ.ग.)

  
सांसदीय कार्यालय

उपस्थित - कार्यवाहक एवं प्रशासनिक कार्यवाही समिति  
सदस्य - सांसदीय कार्यवाहक समिति  
सदस्य - वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्यवाहक समिति  
सदस्य - कार्यवाहक एवं प्रशासनिक कार्यवाही समिति,  
नई दिल्ली


पत्र क्र. \_\_\_\_\_  
दिनांक: \_\_\_\_\_

4. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि- मिशन अमृत को दिशा-निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय विषय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय-सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय विषय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड़ रु. आगामी तीन वर्षों में प्राप्यमानित है। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्राप्यमानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा-निर्देश का निर्धारण एक्सीरसिटी द्वारा किया जाएगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।

उपरोक्त क्र. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित, तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है।

उपरोक्तानुसार अमृत मिशन के अंतर्गत नगर निगम दुर्ग के प्रस्तावित कार्यों की रवीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

प्रति,  
महापौर  
नगर पालिक निगम  
दुर्ग, जिला दुर्ग

सचिवीय  
  
ताम्रवर्ज साहू  
सांसद  
दुर्ग लोकसभा

डॉ. बंशीलाल महतो

संसद सदस्य  
(लोक सभा)

कोरबा (छत्तीसगढ़)



चांपा रोड, मुख्य मार्ग, सीतामण्डी,  
कोरबा-495 678, छत्तीसगढ़  
दूरभाष : 07759-248999  
मोबाइल : 09425532400

सदस्य:

- कौशल और इस्माल संबंधी मंचों समिति
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति
- अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

89, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110 001

दूरभाष : 011-23094730

मोबाइल : 09013869102

ई-मेल: banshilal.mahto@sansad.nic.in

mahtobanshilal@gmail.com

क्रमांक सां/कोरबा/2015/895

दिनांक 09/10/2015

विषय :- निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।  
संदर्भ :- आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा का पत्र क्र./योजना/न.पा.नि./2015/17799  
कोरबा दिनांक 07.10.2015

—00—

अमृत मिशन हेतु केन्द्र/राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरिधता के कार्यों क्रमशः जलप्रदाय में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज), सेप्टेज मैनेजमेंट एवं प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 307.99 करोड़ रु. तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. **जल आर्बधन योजना फेस 2-** नगर पालिक निगम के वार्ड 43 से वार्ड क्र. 67 तक पश्चिम कोरबा में सतही जल से पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 284.69 करोड़ रु. का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए हसदेव नदी में एनीकट निर्माण, इटैकवेल निर्माण, 14 ओवरहेड टैंक, 29 एमएलडी क्षमता का जलशोधन संयंत्र, मास्टर बैलेसिंग रिजर्वायर, क्लीयर वॉटर पम्पिंग एवं वितरण प्रणाली (लगभग 300 कि.मी.) का प्रावधान किया गया है। पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं ऑपरेशन के कार्यों की मानिट्रिंग हेतु स्काडा साफ्टवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।
2. **सेप्टेज मैनेजमेंट-** अप्ठरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए 18.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत 03 नग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण तथा समुचित सक्शन यूनिट/वैक्यूम एम्प्टीयर कच किये जाने का प्रावधान है। नगर के सगस्त सेप्टिक टैंकों को सूचीबद्ध कर निर्धारित समयावधि के अंतर्गत सफाई कराकर एकत्रित सेप्टेज का परिवहन कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में उपचार किया जाना सम्मिलित है।
3. **हरित स्थल एवं पार्क-** नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु 4.30 करोड़ रु. की परियोजना सम्मिलित की गई है।
4. **सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि-** मिशन अमृत के दिशा-निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित हैं। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय-सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी।

कार्यालय: विकास काम्पलेक्स, पावर हाऊस रोड, कोरबा (छ.ग.), दूरभाष: 07759-246000

82 of 142

सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड़ रु. आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा-निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जायेगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।

उपरोक्त क्र. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य शासन का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर SLIP का प्रारूप तैयार किया गया है।

उपरोक्तानुसार अमृत मिशन के अन्तर्गत नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

सद्व प्रतिक्रिया

  
(डॉ. बंशीलाल महतो)

  
COMMISSIONER,  
Municipal Corporation, Korba  
Distt. - KORBA (C. G.)



## कमलभाज सिंह मराठी

संसद सदस्य (लोक सभा)  
सरगुजा - छत्तीसगढ़

अध्यक्ष :

• भारतीय जल निगम परामर्शदात्री समिति (अभिसंगठ)

सदस्य :

• देश अतिरिक्त समिति

• रक्तकण एवं जलकण लक्षणी समिति

• जनजातीय कार्य महासचय परामर्शदात्री समिति



भारत सरकार

सिवाई कालोनी,  
रोड नं. 2 का  
अम्बिकापुर (ज.ग.)

घाम एवं पोस्ट जमगला विकास सचद,  
लखनपुर, शिला सरगुजा (ज.ग.)  
फोन : 09425254386

विषय :- मिशन अमृत (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर का पत्र क्रमांक 2498/लोनिवि/नपानि/2015-16 अम्बिकापुर दिनांक 09.10.2015

—0—

भारत सरकार के "मिशन अमृत" (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर द्वारा पेयजल, सेप्टेज मैनेजमेंट, हरित स्थल एवं उद्यान निर्माण के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित सुधार कार्यक्रम के अनुपालन हेतु निम्नानुसार सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है :-

**पेयजल आपूर्ति** - नगरीय क्षेत्र में मिशन के मानकों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति के कार्य हेतु कुल राशि रुपये 46.16 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक आवासीय भवनों में स्मार्ट मीटर युक्त नल संयोजन, निर्धारित मानक अनुसार 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिवस के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने तथा आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता 100 प्रतिशत स्तर तक सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु पुनःसुदटा डैम के आरबीसी जगदीशपुर में कनाल इंटेकपेल का निर्माण करते हुए 13.5 एम.एल.डी. क्षमता का जल शोधन संयंत्र स्थापित किया जाना, 04 नग सच्य स्तरीय जलानारों का निर्माण, पाईप लाईन विस्तार, जल शोधन संयंत्र हेतु भावर स्टेशन का निर्माण, पेयजल की गुणवत्ता एवं प्रबंधन कार्य हेतु रक्षा प्रणाली स्थापित किये जाने का प्रावधान SLIP में रखा गया है।


**सेप्टेज मैनेजमेंट** - भूजल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने हेतु निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार एवं पुनर्धनीकरण कार्य हेतु राशि रुपये 6.00 करोड़ का प्रावधान मिशन के SLIP में किया गया है, जिसके अन्तर्गत एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा कार्य हेतु आवश्यक मशीनरियों का क्रय किया जाना प्रावधानित है। सेप्टेज मैनेजमेंट कार्य के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में स्थित प्रत्येक सेप्टिक टैंक को अधिकतम दो वर्ष में सफाई किये जाने एवं इस कार्य हेतु एकत्रित सीवेज का विधिवत् उपचार एवं पुनर्धनीकरण का कार्य किया जाना सम्मिलित है।

**हरित स्थल एवं उद्यान -** नगरीय क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण स्तर को कम किये जाने के मूल उद्देश्य से नगरीय क्षेत्र में हरित स्थल एवं उद्यानों के विकास का कार्य किया जागा प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत इस कार्य हेतु राशि रूपये 4.30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिसके अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में विभिन्न स्थलों पर हरित स्थल एवं सर्वसुविधा युक्त उद्यानों का निर्माण जिसमें अक्षाता/फेरिंग, फुटपाथ, खेल उपकरण, व्यायाम उपकरण, प्रसाधन, पेयजल, कैंटिन आदि का यथोचित प्रावधान रखा गया है।

**सुधार कार्यक्रम (REFOAM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि -** अमृत मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले सुधार कार्यक्रमों समय-सीमा में निकाय द्वारा पूर्ण की जावेगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु योजनान्तर्गत राशि रूपये 1.00 करोड़ का प्रावधान आगामी तीन वर्षों हेतु रखा गया है। योजना के सुधार कार्यक्रमों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किये जाने का प्रावधान है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा-निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा, जिसके अनुसार मिशन अमृत के सम्मिलित घटकों के अन्तर्गत यह राशि आवंटित की जावेगी।

उपरोक्तानुसार पेयजल आपूर्ति, सेप्टेज मैनेजमेंट एवं हरित स्थल तथा उद्यान निर्माण कार्य में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत का अंशदान भारत सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत अंशदान राज्य शासन/नगरीय निकाय द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान मिशन अन्तर्गत है। मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर SLIP प्रारूप तैयार किया गया है, तथापि राज्य शासन/निकाय अंशदान के सम्बन्ध में अतिरिक्त निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है।

उपरोक्तानुसार नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर द्वारा पेयजल, सेप्टेज मैनेजमेंट, हरित स्थल एवं उद्यानों के निर्माण तथा शासन द्वारा निर्धारित सुधार कार्यक्रमों के अनुपालन हेतु तैयार किये गये SLIP राशि रूपये 57.46 करोड़ के स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

  
(कमलमोहन सिंह मरावी)  
सांसद, सरगुजा

विष्णु देव साय  
VISHNU DEO SAI



इस्पात एवं खान राज्य मंत्री  
भारत सरकार  
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011  
MINISTER OF STATE FOR STEEL AND MINES  
GOVERNMENT OF INDIA  
UDYOG BHAWAN, NEW DELHI-110011

पत्र क्रमांक 752/एम.ओ.एस/इस्पात, खान/2015/ बगिया

08 अक्टूबर, 2015

प्रति,

मागनीय श्री वैकेया नायडु जी,  
शहरी विकास मंत्री,  
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय:- निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

संदर्भ :- आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ का पत्र क्र. 1281/लो.क.वि./न.पा.नि./2015  
रायगढ़ दिनांक 07.10.2015

—00—

भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा-निर्देशों के अनुसार नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा मिशन अवधि के लिए सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है।

मिशन हेतु केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 111.74 करोड़ रु. तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. पेयजल प्रदाय - पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 96.44 करोड़ रु. का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए केलो नदी में एनीकट निर्माण, इटेकवेल निर्माण, 10 जोकरहेड टैंक, 23.26 एमएलडी क्षमता का जलशोधन संयंत्र, मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वायर, क्लीयर बॉटलर पम्पिंग एवं वितरण प्रणाली (लगभग 183 कि.मी.) का प्रावधान किया गया है। पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं ऑपरेशन के कार्यों की मानिट्रिंग हेतु स्काडा साफ्टवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।
2. सेप्टेज मैनेजमेंट - अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए 10.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत 3 नग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का



निर्माण तथा समुचित सलान यूनिट/वैक्यूम इम्प्टीयर क्रय किये जाने का प्रावधान है। नगर के समस्त सेप्टिक टैंक को सूधीबद्ध कर, निर्धारित समयवधि के अंतर्गत सफाई कराकर एकत्रित सेप्टेज का परिवहन कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में उपचार किया जाता सम्मिलित है।

3. हरित स्थल एवं पार्क – नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु 4.30 करोड़ रु. की परियोजना सम्मिलित की गई है।

4. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि – मिशन अमृत के दिशा-निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित हैं। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय-सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड़ रु. आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा-निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।

उपरोक्त क्र. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर SLIP कर प्रारूप तैयार किया गया है। उपरोक्तानुसार अमृत मिशन अंतर्गत नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा प्रस्तावित कार्यों की रबीकृति की अनुशंसा की जाती है।

सादर,

गन्धीय  
  
( विष्णुदेव साय ) 3/10/2015

**अभिषेक सिंह**

संसद सदस्य (लोक सभा)  
राजनांदगांव, उज्जैनमण्ड



संसद कार्यालय:

राजनांदगांव कार्यालय के सम्मने  
जोई रोड, राजनांदगांव (उज्जैनमण्ड)-491441  
ई-मेल: [me@abhisbeksinghbjp.in](mailto:me@abhisbeksinghbjp.in)  
मोबाइल : 094790 94790  
दूरभाष : 07744 221444  
फैक्स : 07744 221441

सदस्य:

- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सहायी समिति
- प्रगतिशील समिति - मानव संसाधन विकास विभाग
- नै- सरकारी संस्थानों के विप्लवकारी तंत्र
- संकल्प संबंधी समिति

क्रमांक 2568

दिनांक 8-10-15

प्रति,

✓ आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
राजनांदगांव

विषय:- निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) कियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्पुवमेंट प्लान(SLIP) के संबंध में।


संदर्भ:- अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर के पत्रक क्रमांक 9/सूडा/अमृत/2015/2578 दिनांक 06.10.2015

-000-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निकाय द्वारा सर्विस लेवल इम्पुवमेंट प्लान(SLIP) कुल रु.99.13 करोड़ घटक में (1) पेयजल प्रदाय अंतर्गत रु.80.83 करोड़ (2) सेप्टेज मैनेजमेंट रु. 12.00 करोड़ (3) हरित स्थल एवं पार्क रु.4.30 करोड़ (4) सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि रु.1.00 करोड़ तैयार कर अनुशंसा हेतु प्राप्त हुआ है।

आतः (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) कियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्पुवमेंट प्लान(SLIP) की अनुशंसा की जाती है।

24-10  
08/10/15



भवदीय

Asingh  
(अभिषेक सिंह)



दिनेश कश्यप  
संसद सदस्य (लोक सभा)  
छत्तर (छत्तीसगढ़)



22, जन्मघर, नई दिल्ली-110001  
फोन: 011-23782357  
011-23782156

क्रमांक ...1567/2015

दिनांक 19.10.2015

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
राज्य शहरी विकास अभिकरण  
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय- नगरपालिक निगम जगदलपुर द्वारा तैयार कार्ययोजना अमृत मिशन के तहत स्वीकृति के सम्बन्ध में ।


आयुक्त नगरपालिक निगम, जगदलपुर द्वारा भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत मिशन) के प्रावधानों तथा निकाय द्वारा सामान्य सभा में सर्वसम्मति से पारित संकल्प के अनुरूप जगदलपुर नगर पालिक निगम में पेयजल प्रदाय, संप्टेज मैनेजमेंट, हरित स्थल एवं पार्क सहित सुधार कार्यक्रम एवं सुधार हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है ।

जगदलपुर नगरपालिक निगम क्षेत्र जगदलपुर में कार्यों की आवश्यकता तथा विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखकर, आयुक्त नगरपालिक निगम जगदलपुर द्वारा प्रेषित कार्ययोजना स्वीकृति हेतु एतद् द्वारा अनुशंसा करता हूं ।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्न: आयुक्त नगरपालिक निगम  
जगदलपुर का पत्र मूलतः

  
( दिनेश कश्यप )





कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)  
नवीन मुख्यालय भवन, नगर पालिक निगम, रायी चौक के पास, रायपुर (छ.ग.)  
फोन नं.-0771-2535700,90 फैक्स:0771-2227395.

क्रमांक/425/महापौर कार्यालय/न.पा.नि./15

रायपुर, दिनांक 09/10/2015

### महापौर परिषद संकल्प

**विषय -** निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्पुमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

—00—

सामान्य सभा की बैठक दिनांक 21.07.2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव क.02 में भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा निर्देशों के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मिशन अमृत के दिशा निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय यरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए, मिशन अवधि के लिए सर्विस लेवल इम्पुमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है। मिशन हेतु केन्द्र/राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत (SLIP) में प्रथम एवं द्वितीय यरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय, सीवरेज मैनेजमेंट में संवांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। (SLIP) में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत राशि रु. 688.68 करोड़ तथा (SLIP) में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :-

(1) **पेय जल प्रदाय :-** पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि रु. 147.60 करोड़ रु. का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवास गृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। नगर निगम रायपुर में वर्तमान में जुड़े 07 गांवों एवं छोटे स्थलों में नई पाईप लाईन, स्मार्ट मीटर एवं पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं ऑपरेशन के कार्यों की मॉनिटरिंग हेतु रकबा सापटवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

(2) **सीवरेज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट :-** अंडर ग्राउंड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए राशि रु. 10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगर निगम, रायपुर में संपूर्ण क्षेत्र में सीवरेज कार्य हेतु 04 जोन में डी.पी.आर तैयार किया गया है। वर्तमान में प्रथम चरण अंतर्गत केवल 02 जोन में डी.पी.आर के अनुसार राशि रु. 516.29 करोड़ का प्रावधान किया गया है।



(3) हरित स्थल एवं पार्क :- नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है। जिस हेतु राशि रु. 12.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(4) सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि :- मिशन अमृत के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले (REFORM) समय सीमा में पूर्ण किये जाने की संपूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 3.39 करोड़ आगामी वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के (SAAP) में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा निर्देश का निर्धारण (MPSC) द्वारा किया जावेगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जावेगी।

उपरोक्त क्रमांक 01 से 03 के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान 33 प्रतिशत तथा राज्यशासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 67 प्रतिशत है। मिशन के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय का अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 40 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 27 प्रतिशत नानकर (SLIP) का प्रारूप तैयार किया गया है। उक्त प्रकरण को मेयर इन काउंसिल की स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुशंसा की जाती है।



महापौर  
नगर पालिक निगम,  
रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम गिलाई

प्रस्ताव क्रमांक-03

दिनांक 09.10.2015

विषय:- निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

समान्य सभा की बैठक दिनांक 17/07/2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक 01 में भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा निर्देशों के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मिशन अमृत के दिशा-निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए, मिशन अमृत के लिए सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है।

मिशन हेतु प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रवधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 256.41 करोड़ रु तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. **पेयजल प्रदाय**- पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 231.11 करोड़ का प्रवधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 प्रति व्यक्ति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रवधान किया गया है। इसके लिए री वाटर पंप, सब स्टेशन, एनीकटवेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (66 एमएलडी), री वाटर राइजिंग, लगभग 110 किलोमीटर का वितरण प्रणाली, ओवरस्ट्रेड टैंक, क्लीयर वाटर सप्ल, क्लीयर वाटर पंपिंग मेन एवं पीपलरी स्काफ प्रणाली का निर्माण किये जाने का प्रवधान है।
2. **सेप्टेज मैनेजमेंट**- अम्बरघाट प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए प्रथम चरण में राशि 20.00 करोड़ रु. का प्रवधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत 3 नग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण तथा समुचित सतथान यूनिट/बैकपूत इम्पटीयर कब किये जाने का प्रवधान है। नगर के समस्त सेप्टिक टैंक को सूचीबद्ध कर, भल गाद प्रबंधन, परिवहन एवं शोधन तथा सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई एवं निर्धारित समयवधि के अंतर्गत किया जाना सम्मिलित है।
3. **हरित स्थल एवं पार्क**- नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बग्यों के लिए विशेष प्रवधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु 4.50 करोड़ रु. की परियोजना सम्मिलित की गई है। इसके लिए त्रिपदशनी परिसर एमुजमेंट पार्क, चोटानिकल गार्डन, ग्रीन बेल्ट, 48 नग हाउसिंग एरिया (एचएपी) एवं लीनियर पार्कों का निर्माण किया जाना सम्मिलित है।
4. **सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि**- मिशन अमृत के दिशा-निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिकार्म समय-सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड़ रु. आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा-निर्देश का निर्धारण एवंपीएशरी द्वारा किया जायेगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।

क्रमशः/-


*[Handwritten Signature]*


*[Handwritten Signature]*

-2-

उपरोक्त क. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर SLIP का प्रारूप तैयार किया गया है, तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण महापौर परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।  
संकल्प:- महापौर परिषद के समक्ष प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार क. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन का अंशदान 30 प्रतिशत एवं निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य शासन को भेजे जाने तथा प्रकरण सामान्य सभा की बैठक में सूचनार्थ रखे जाने का सर्व सम्मति से संकल्प पारित किया गया।

  
शक्ति  
नगर पालिक निगम  
गिलाई

  
महापौर  
नगर पालिक निगम  
गिलाई



कार्यालय नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

महापौर परिषद की बैठक दिनांक 09/10/15 अतिरिक्त प्रस्ताव क्र. 01

विषय :- निकाय में मिशन अमृत (अटल नदीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के कियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में ।

सामान्य सभा की बैठक दिनांक 22/07/2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक 01 में भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नदीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा निर्देश के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था । मिशन अमृत के दिशा निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुये मिशन अवधि के लिये Service Level Improvement Plan (SLIP) तैयार किया गया है ।

मिशन हेतु SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज / सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्यापि (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है । SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 278.71 करोड़ रुपये तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :-

**01. पेयजल प्रदाय :-** पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि रु. 245.53 करोड़ रुपये का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आयसगृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है । इसके लिए खासग जलाशय (खुटाघाट) के पास इन्टेक वेल कम पम्प हाउस का निर्माण कर 1200 एम एम व्यास (लंबाई 39.21 कि.मी.) के डी आई पाईप के माध्यम से पेयजल प्राप्त होगा । 77 एमएलडी क्षमता का जलसोधन संयंत्र दोमुहानी वैलेसिंग रिजर्वायर, क्लीयर वॉटर पॉपिंग एवं वितरण प्रणाली (लगभग लम्बाई 35.12 कि.मी.) का प्रावधान किया गया है । पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं आपरेशन के कार्य की मॉनिटरिंग हेतु स्टाटा साफ्टवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है ।

**02. सीवरेज :-** सीवरेज की वर्तमान चलिता योजना के पूर्ण होने पर 40000 घरों को सीवरेज की सुविधा प्राप्त होगी । वर्ष 2021 की डिमांड के अनुसार कुल 55000 घरों को कनेक्शन प्रदान किया जाना होगा, जिसके लिए 14.15 कि.मी. सीवरेज पाईप लाईन एवं 15000 प्रापर्टी चेम्बर कनेक्शन की आवश्यकता होगी । इस हेतु राशि रु. 16.32 करोड़ का प्रावधान किया गया है । कार्य पूर्ण करने की समय सीमा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 निर्धारित की गई ।

**03. सेप्टेज मैनेजमेंट :-** अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिये निजी/ सार्वजनिक/ सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिये सेप्टेज मैनेजमेंट के लिये राशि रु. 5.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इस घटक के अंतर्गत 02 नग सीवरेज सक्शन एवं जेटिंग मशीन 9000 लीटर क्षमता एवं 03 नग जेटिंग मशीन 500 लीटर क्षमता के साथ-साथ कुछ कॉलोनी जिनका ग्राउण्ड लेवल नीचे है अनुमानित आवासों की संख्या 2720 है, सीवरेज से जुड़ना संभव नहीं है, जिनमें सैफ्टीक टैंक के स्थान पर बायोडायजेस्टर का प्रावधान किया गया है ।

04. हरित स्थल एवं पार्क :- नगर में प्रदूषण को रोकने के लिये हरियाली एवं बच्चों के लिये विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्क का निर्माण किया जाना है। जिस हेतु राशि रु. 8.00 करोड़ की परियोजना सम्मिलित की गई है।

05. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि :- मिशन अमृत के दिशा-निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफॉर्म समय सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इस सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु राशि रु. 3.39 करोड़ आगामी तीन वर्षों में प्राक्कानित है। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्राक्कानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा, जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जावेगी।

उपरोक्त क्रमांक 01 से 04 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार शासन एवं नगरीय निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर SLIP का प्रारूप तैयार किया गया है तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है। उपरोक्तानुसार प्रकरण महापौर परिषद के सक्षम विचारार्थ प्रस्तुत।

आयुक्त

**निर्णय :-** सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए सक्षम स्वीकृति हेतु यह प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करने की अनुशंसा की जाती है।

Kishor Ran  
महापौर,  
नगर पालिक निगम,  
बिलासपुर (छ.ग.)

USA  
निगम सचिव,  
नगर पालिक निगम,  
बिलासपुर (छ.ग.)

आयुक्त,  
नगर पालिक निगम,  
बिलासपुर (छ.ग.)



कार्यालय महापौर, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छ.ग.)  
महापौर परिषद की बैठक दिनांक 08/10/2015 में पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि

बिषय-1 निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेबल इम्पुवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में विचारार्थ।

संकल्प- विभागीय नस्ती का अवलोकन किया गया। विभागीय प्रतिवेदन एवं संक्षेपिका अनुसार सामान्य सभा की बैठक दिनांक 15.07.2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक 02 में भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा निर्देशों के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मिशन अमृत के दिशा निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए मिशन अमृत के लिए सर्विस लेबल इम्पुवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है।


मिशन हेतु (SLIP) में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों के जल प्रदाय एवं सीवररेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में तर्जाम ब्यापि (यूनिवर्सल कवरज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास प्रावधान किया गया है। (SLIP) में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत रु. 98.13 करोड़ तथा (SLIP) में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. पेयजल प्रदाय:- पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 80.83 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवास गृह में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 04 एमएलडी क्षमता के 02 नग ओवर हेड टैंक निर्माण कार्य, मोहारा जल संयंत्र गृह में 10 एमएलडी से 27 एमएलडी प्लांट का इंटरलिकिंग कार्य विभिन्न वार्डों में 266 कि.मी. वितरण पाईप लाईन विस्तार कार्य का प्रावधान किया गया है। पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं आपरेशन के कार्यों की गारंटी हेतु रकबा साफ्टवेयर किये जाने का प्रावधान है।

2. सेप्टेज मैनेजमेंट:- जलबिराजण प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए राशि रु. 12.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत सिवररेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण तथा सक्शन यूनिट/वैक्यूम इम्पटीयर कय किये जाने का प्रावधान है। नगर के समस्त सेंटिक टैंक को सूचीबद्ध कर निर्धारित समयवधि के अंतर्गत सफाई कराकर एकत्रित सेप्टेज का परिचालन कर सीवररेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में उपचार किया जाना प्रस्तावित है।

3. हरित स्थल एवं पार्क:- नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्क का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु रु. 4.30 करोड़ की परियोजना सम्मिलित की गई है।

क्रमशः 2 पृष्.

  
6-10-15

// 2 //

4. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि:- मिशन अमृत के दिशा निर्देशों अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित हैं। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय-सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण कराने हेतु रु.1.00 करोड़ अगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।

कौंसिल की यह सभा सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार क्रमांक 01 से 03 तक घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है। किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है एवं प्रकरण राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा इस निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर (SLIP) प्रारूप तैयार कर शासन को भेजे जाने की अनुशंसा करती है।

सही/-

(देवेन्द्र सोनी)

सचिव, महापौर परिषद्

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

पृ०क०।54 सचिव/15

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ।
3. प्र.अधिकारी लोककर्म, विभाग, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सही/-

(मधुसूदन यादव)

महापौर

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

राजनांदगांव दिनांक 08/10/2015

सचिव

महापौर परिषद्

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव



कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग छत्तीसगढ़

महापौर परिषद की बैठक दिनांक 07.10.2015

प्रस्ताव क्रमांक :- 01

विषय :- निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में ।

सामान्य सभा की बैठक दिनांक 15.07.2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक 02 में भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा निर्देशों के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था । मिशन अमृत के दिशा-निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए मिशन अवधि के सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है ।

मिशन हेतु प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु ) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है । साथ ही रिफार्म लागू किए जाने का भी प्रावधान किया गया है । SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 67.73 करोड़ रु. तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. पेयजल प्रदाय - पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 47.43 करोड़ रु. का प्रावधान सम्मिलित किया गया है जिसमें प्रचलित योजना द्वितीय फेस जल आवर्धन के उपरांत शेष बचे कार्यों को पूर्ण करने प्रावधानित किया गया है । वर्तमान में मानक अनुसार प्रतिव्यक्ति जल प्रदाय 135 ली. प्रतिदिवस के अनुसार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है । कवरेज 53.2 प्रतिशत से 100 प्रतिशत लक्ष्य तक पहुंचाया जाना है । योजना में कुल सात कार्य शामिल किया गया है । जिसमें विभिन्न वार्डों को सम्मिलित करते हुए जोन 01 से जोन 03 तक डिस्ट्रीब्यूशन पाईप लाईन स्थापित किया जाना है । ओ. एण्ड एम. के लक्ष्य तक पहुंचने हेतु स्वगळा याल्व आपरेशन का प्रावधान किया गया है । पुलगांव वार्ड हेतु पृथक से फिल्टर प्लांट एवं ओवर हेड टैंक का प्रावधान किया गया है । साथ ही प्रत्येक कनेक्शन को मीटरिंग करने का प्रावधान किया गया है । प्रत्येक घर तक नये कनेक्शन हेतु पाईप लाईन विस्तार का प्रावधान किया गया है ।
2. सेप्टेज मैनेजमेंट - अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए 15.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है । इस योजना में 30 एमएलडी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण तथा समुचित सक्शन यूनिट/वैक्यूम इम्पटीयर क्वि किये जाने का प्रावधान है । नगर के समस्त सेप्टिक टैंकों को सूचीबद्ध कर निर्धारित समयवधि के अंतर्गत सफाई कराकर एकत्रित सेप्टेज का परिवहन कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में उपचार किया जाना प्रावधानित है ।

3. इतिहास स्थल एवं पार्क – नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ इतिहास स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है जिस हेतु 4.30 करोड़ रु. की परियोजना सम्मिलित की गई है ।
4. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि – मिशन अमृत के दिशा-निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित हैं । निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय-सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी । इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड़ रु. आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है । इन सुधार कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्ष SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है । प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा-निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जावेगी ।

उपरोक्त क. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय का का अंशदान 50 प्रतिशत है । मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है । तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है ।

उपरोक्तानुसङ्ग प्रकरण महापौर परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

  
आयुक्त,  
नगर पालिक निगम, दुर्ग

मंतव्य :- प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत ।

  
साचिव  
नगर पालिक निगम, दुर्ग

  
महापौर एवं अध्यक्ष  
मेयर इन काउंसिल  
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक/ /नि.कार्या./2015

दुर्ग, दिनांक 07.10.2015

प्रतिलिपि:- आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित ।

  
साचिव,  
नगर पालिक निगम, दुर्ग



## कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा छत्तीसगढ़

महापौर परिषद की बैठक दिनांक 08.10.2015

प्रस्ताव क्रमांक :- 1.7.6..

विषय :- निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

विशेष सम्मिलन की बैठक दिनांक 15.07.2015 में प्रस्ताव क्रमांक 18 में भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा निर्देशों के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मिशन अमृत के दिशा-निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों का सम्मिलित करते हुये मिशन अवधि के सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान SLIP तैयार किया गया है।

मिशन हेतु प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। साथ ही रिफार्म लागू किये जाने का प्रावधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 307.99 करोड़ रु. तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. जल आर्वाधन योजना फेस 2 :-

नगर पालिक निगम के वार्ड 43 से वार्ड 67 तक परिधन कोरबा में सतही जल से पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 284.69 करोड़ रु. का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए हसदेव नदी में एनीकट निर्माण, इंटेकवेल निर्माण, 14 ओवरहैड टैंक, 29 एमएलडी क्षमता का जलशोधन संयंत्र, मास्टर बैलेंसिंग रेजर्वायर, क्लीयर वॉटर पम्पिंग एवं वितरण प्रणाली (लगभग 300 कि.मी.) का प्रावधान किया गया है। पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं ऑपरेशन के कार्यों की मोनिटरिंग हेतु स्काड़ा सापटवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

2. सेप्टेज मैनेजमेंट :-

अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए 18.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत 03 नग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण तथा समुचित सक्शन यूनिट/वैक्यूम एम्पटीयर क्रय किये जाने का प्रावधान है। नगर के समस्त सेप्टिक टैंकों को सूचीबद्ध कर निर्धारित समयावधि के अंतर्गत सफाई कराकर एकात्रित सेप्टेज का परिवहन कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में उपचार किया जाना सम्मिलित है।

3. हरित स्थल एवं पार्क :-

नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु 4.30 करोड़ रु. की परियोजना सम्मिलित की गई है।


क्रमशः-02

4. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि :-

मिशन अमृत के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित हैं। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय-सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड़ रु. आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा-निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा, जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।


उपरोक्त क्र. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य शासन का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय संक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है। प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर SLIP का प्रारूप तैयार किया गया है।

उपरोक्तानुसार मिशन अमृत के अन्तर्गत तैयार की गई SLIP महापौर परिषद, नगर पालिक निगम, कोरबा के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

  
आयुक्त


नगर पालिक निगम, कोरबा

मंतव्य :- प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत।



सचिव

नगर पालिक निगम, कोरबा

  
Renu Agrawal

महापौर एवं अध्यक्ष


मेयर इन काउंसिल

नगर पालिक निगम, कोरबा

पृष्ठा.क्र./27762/सचिव कार्या./2015  
प्रतिलिपि :-

कोरबा, दिनांक 02.05.2015

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित।



सचिव

नगर पालिक निगम, कोरबा



कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर

जिला-बस्तर (छ0ग0)

"मेयर-इन-कौंसिल की बैठक दिनांक 09.10.2015 में प्रस्तुत संक्षेपिका"

विषय:- निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

सामान्य सभा की बैठक दिनांक 16.07.2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक 17 में भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था। अमृत मिशन के दिशा-निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए मिशन अवधि के लिए सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है।

मिशन हेतु प्रस्तुत (SLIP) में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जलप्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु तथा प्रत्येक वर्ग हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। (SLIP) में सम्मिलित कार्यों के घटकों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. पेयजल प्रदाय:- पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि रुपये-74.00 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानक (135 प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए इन्द्रावती नदी में जलशोधन संयंत्र 31.17 एम0एल0डी0, 12 नग ओवर हेड टैंक, 02 नग इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, क्लीयर वाटर पम्पिंग मेन वितरण प्रणाली (लगभग 157 कि0मी0) का प्रावधान किया गया है। पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं ऑपरेशन के कार्यों की मानिट्रिंग हेतु स्काडा साफ्टवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

2. सेप्टेज मैनेजमेंट:- अण्डरग्राउंड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए राशि रुपये- 10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत 36.45 एम0एल0डी0 का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किये जाने का प्रावधान है। शहर के समस्त सेप्टिक टैंक को सूचीबद्ध कर निर्धारित समयावधि के अंतर्गत सफाई कराकर एकत्रित सेप्टेज का परिवहन कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (SLIP) में उपचार किया जाना सम्मिलित है।

3. हरित स्थल एवं पार्क:- नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थलों एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है जिस हेतु राशि रुपये- 4.30 करोड़ की परियोजना सम्मिलित की गई है।

4. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि:- अमृत मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित हैं। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफॉर्म समय-सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु राशि रूपये- 1.00 करोड़ आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित हैं। इन सुधार कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों में SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा-निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।

उपरोक्त क्रमांक 01 से 04 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 50 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान शून्य प्रतिशत मानकर का प्रारूप तैयार किया गया है तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण महापौर परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत एवं सामान्य सभा की आगामी बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु।

  
आयुक्ता  
नगर पालिक निगम  
जगदलपुर



## कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

महापौर परिषद की बैठक दिनांक 09.10.2015

प्रस्ताव क्रमांक - 01

**विषय :-** निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्पुवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

नगर पालिक निगम के सामान्य सभा की बैठक दिनांक 20.07.2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक 01 में भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मिशन अमृत के दिशा-निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए मिशन अवधि के लिए सर्विस लेवल इम्पुवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है।

मिशन हेतु प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 111.74 करोड़ रु. तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :-


- 1. पेयजल प्रदाय** - पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 90.44 करोड़ रु. का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए केलो नदी में एनीकट निर्माण, इंटैकवेल निर्माण, 10 ओवरहैड टैंक, 23.26 एमएलडी क्षमता का जलशोधन संयंत्र, मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वायर, क्लीयर वॉटर पम्पिंग एवं वितरण प्रणाली (लगभग 183 कि.मी.) का प्रावधान किया गया है। पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं ऑपरेशन के कार्यों की मॉनिटरिंग हेतु स्काडा साफ्टवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।
- 2. सेप्टेज मैनेजमेंट** - अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए 10.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत 3 नग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण तथा समुचित सक्षम यूनिट/वैक्यूम इम्पटीयर क्रय किये जाने का प्रावधान है। नगर के समस्त सेप्टिक टैंक को सूचीबद्ध कर, निर्धारित समयावधि के अंतर्गत सफाई करकर एकत्रित सेप्टेज का परिग्रहण कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में उपचार किया जाना सम्मिलित है।

3. हरित स्थल एवं पार्क – नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु राशि 4:30 करोड़ रु. की परियोजना सम्मिलित की गई है।


4. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि – मिशन अमृत के दिशा-निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित हैं। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय-सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड़ रु. आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा-निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।

उपरोक्त क्र. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत हैं। मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर SLIP कर प्रारूप तैयार किया गया है, तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण महापौर परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

  
आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
रायगढ़ (छ.ग.)

संकल्प :- निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

  
महापौर  
नगर पालिक निगम  
रायगढ़ (छ.ग.)



कार्यालय महापौर जगर पालिक निगम, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

मेयर-इन-कौंसिल की बैठक दिनांक 08.10.2015

निर्णय क्रमांक 09

विषय क्र.(09) निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :- नगर पालिक निगम के सामान्य सभा की बैठक दिनांक 18.07.2015 के निर्णय क्रमांक 01 द्वारा भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का निर्णय सर्व सम्मति से पारित किया गया है। मिशन अमृत के दिशा-निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित निर्णय के अनुसरण में प्रथम एवं द्वितीय बरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए मिशन अवधि के लिए सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है।

मिशन हेतु प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय बरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज) प्राप्त करने हेतु तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं उद्यान के विकास का प्रावधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत रुपये 57.46 करोड़ तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :-

पेयजल आपूर्ति — नगरीय क्षेत्र में मिशन के मानकों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति के कार्य हेतु कुल राशि रुपये 46.16 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक आवासीय भवनों में स्मार्ट मीटर युक्त नल संयोजन, निर्धारित मानक अनुसार 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिवस के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने तथा आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता 100 प्रतिशत स्तर तक सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु घुनमुट्टा डेम के आरबीसी जगदीशपुर में कनाल इंटेकवेल का निर्माण करते हुए 13.6 एम.एल.डी. क्षमता का जल शोधन संयंत्र स्थापित किया जाना, 04 नग उच्च स्तरीय जलागारों का निर्माण, पाईप लाईन विस्तार, जल शोधन संयंत्र हेतु पावर स्टेशन का निर्माण, पेयजल की गुणवत्ता एवं प्रबंधन कार्य हेतु स्काडा प्रणाली स्थापित किये जाने का प्रावधान SLIP में रखा गया है।

सेप्टेज मैनेजमेंट - भूजल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने हेतु निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार एवं पुनर्चक्रीकरण कार्य हेतु राशि रूपये 6.00 करोड़ का प्रावधान मिशन के SLIP में किया गया है, जिसके अन्तर्गत एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा कार्य हेतु आवश्यक मशीनरियों का क्रय किया जाना प्रावधानित है। सेप्टेज मैनेजमेंट कार्य के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में स्थित प्रत्येक सेप्टिक टैंक को अधिकतम दो वर्ष में सफाई किये जाने एवं इस कार्य हेतु एकत्रित सीवेज का विधिवत् उपचार एवं पुनर्चक्रीकरण का कार्य किया जाना सम्मिलित है।

हरित स्थल एवं उद्यान - नगरीय क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण स्तर को कम किये जाने के मूल उद्देश्य से नगरीय क्षेत्र में हरित स्थल एवं उद्यानों के विकास का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत इस कार्य हेतु राशि रूपये 4.30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिसके अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में विभिन्न स्थलों पर हरित स्थल एवं सर्वसुविधा युक्त उद्यानों का निर्माण जिसमें आहाता/फेसिंग, फुटपाथ, खेल उपकरण, व्यायाम उपकरण, प्रसाधन, पेयजल, कैंटिन आदि का यथोचित प्रावधान रखा गया है।


सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि - अमृत मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले सुधार कार्यक्रम समय-सीमा में निकाय द्वारा पूर्ण की जावेगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु योजनान्तर्गत राशि रूपये 1.00 करोड़ का प्रावधान आगामी तीन वर्षों हेतु रखा गया है। योजना के सुधार कार्यक्रमों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किये जाने का प्रावधान है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा-निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा, जिसके अनुसार मिशन अमृत के सम्मिलित घटकों के अन्तर्गत यह राशि आवंटित की जावेगी।

उपरोक्तानुसार पेयजल आपूर्ति, सेप्टेज मैनेजमेंट एवं हरित स्थल तथा उद्यान निर्माण कार्य में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत अंशदान राज्य शासन/नगरीय निकाय द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान मिशन अन्तर्गत है। मिशन के दिशा-निर्देशों के

अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मागकर SLIP प्रारूप तैयार किया गया है, तथापि राज्य शासन/निकाय अंशदान के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है।

मिशन अमृत अन्तर्गत वर्ष 2015-16 हेतु उपरोक्तानुसार SLIP प्रारूप अनुमोदन एवं प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- मिशन अमृत अन्तर्गत उपरोक्तानुसार प्रस्तुत सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) राशि रुपये 57.46 करोड़ का अनुमोदन मेयर-इन-कौंसिल द्वारा सर्व सम्मति से प्रदान की जाती है।


  
सचिव  
नगर पालिक निगम  
अम्बिकापुर

  
महापौर/अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर

पृ.क्रमांक...171...../सचिव/न.पा.नि./अम्बिकापुर दिनांक 09/...10.../2016

प्रतिलिपि :-

आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
सचिव  
नगर पालिक निगम  
अम्बिकापुर